श्री महामाया बालासुन्दरी जी, मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, तहसील नाहन जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2010 से 31.03.2013

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (C) (ii) के अन्तर्गत तथा वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्या भाषा (ए) (3)/85—पार्ट—II, दिनाँक 17.01.89 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2010 से 31.03.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण का कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार मन्दिर आयुक्त एवं सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास में कार्यरत्त रहेः—

क्रमांक	मन्दिर आयुक्त	कार्यकाल	मन्दिर सहायक आयुक्त	कार्यकाल
1	श्री पदम सिंह चौहान	जुलाई, 2009 से जनवरी, 2011	श्री अरूण कुमार शर्मा	अप्रैल, 2010 से जुलाई, 2010
2	श्रीमती मीरा मोहंती	फरवरी, 2011 से अप्रैल, 2012	श्री देवेन्दर सिंह कंवर	अगस्त, 2010 से मई 2011
3	श्री पदम सिंह चौहान	मई, 2012 से दिसम्बर, 2012	श्री हेमिस नेगी	जून 2011 से सितम्बर 2011
4	श्री प्रियातु मंडल	जनवरी, 2013 से 03.07.2013	श्री राणा प्रीत पाल सिंह	अक्तूबर, 2011 से जनवरी, 2013
5	————————	———————	श्रीमती ज्योति राणा	फरवरी, 2013 से लगातार

(ग) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर तहसील नाहन, जिला सिरमौर के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.10 से 31.03.2013 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि लाखों में
1	7 (ग)	बैकों द्वारा निवेश पर ब्याज (Credit) करते समय स्त्रोत पर आय कर के रूप में कटौती किये जाने बारे	7.41
2	10	भारत संचार लिमिटेड से किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.20
3	13	विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से दैनिक रोकड़ संग्रह रजिस्टर में राशि की कम गणना करना	0.15
4	16 (क)	जलपान गृह के किराए वसूली न करना	4.94
5	22	मन्दिर न्यास द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में पद भरने के फलस्वरूप वेतन का अनियमित भुगतान करना	76.98
6	23	सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवा निवृति के लाभों का अधिक भुगतान करना	0.26
7	25	01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करने के उपरान्त, देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के गलत नियतन के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	1.15
8	27	01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण में त्रुटियों के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	1.06
9	28	मकान किराया भत्ते का गलत दर से भुगतान करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.14
10	29	न्यास के कर्मचारियों को गलत दर से मासिक वेतन का भुगतान करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना	0.62
11	31	दैनिक भोगी कर्मचारियों को गलत दर से मजदूरी प्रदान करने के कारण में अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना	7.17
12	36	विज्ञापनों इत्यादि पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय करना	10.36
13	38	ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर की राशि की कटौती न करना	0.20
14	43	क्रय की गई राशि की वस्तुओं की भण्डार रजिस्टर में गणना न करना	18.10
15	45	विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु राशि का शेष पाया जाना	15.71

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर के अवधि 01.04.2010 से 31.03.2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री हेमराज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) तथा श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनाँक 28.02.13 से 07.06.13 के दौरान मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2010, 03/2012 एवं 10/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/2010, 03/2012 एवं 10/2012 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई कोई गलत सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 04/2010 से 03/2013 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹74400/– बनता है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 61 दिनाँक 04.06.14 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु मन्दिर न्यास के अधिकारी से अनुरोध किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक त्रिलोकपुर के रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट संख्या 2243456 दिनाँक 10.06.14 द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 04/2010 से 03/2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

Year	Opening balance	Receipts	Total	Payments	Closing Balance
2010-11	16359444.71	28413814.60	44773259.31	34868316.68	9904942.63
2011-12	9904942.63	56720137.63	66625080.26	37186404.26	29438675.91

2012-13	29438675.91	54928107.82	84366783.73	46627664.50	37739119.23

The Balance as per Financial Position as on 31.03.2013	**37739119.23**
The balance as per Ledger Accounts as on 31.03.13	**38640164.23**
(Refer annexuture A)	
The difference between Financial Position and Ledger Accounts as on 31.03.2013 =(386440164.23-37739119.23)	**901045**
(Refer annexuture A for reasons of difference)	

(ख) बैंक समाधान विवरणः–

Balance of different banks/FDR's/cash in hand as on 31.03.13	40824198.41
(Refer annexuture B)	
Balance of Ledger Accounts as on 31.3.13	38640164.23
The difference between Ledger Balances and different Banks/FDR's/cash in hand as on 31.03.13 (40824198.41-38640164.23)	2184034.18
(Refer annexuture C for reasons of difference)	

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "C"** पर उपलब्ध करवाई गई विभिन्न बैंकों की बैंक समाधान विवरणी की पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(I) हि0प्र0 स्टेट कोप्रेटिव बैंक, त्रिलोकपुरः–

न्यास द्वारा बैंक में Flexi FDR/Saving Account चलाया जा रहा था जोकि सावधि जमा तथा बचत खाते का मिश्रित रूप है। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि इस प्रकार के खाते की कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक खातेदार के निर्देशानुसार बचत खाते में एक निश्चित न्यूनतम मात्रा तक ही रोकड़ (Cash) बचत खातों में रखता है तथा उस निश्चित न्यूनतम मात्रा से रोकड़ अधिक होने पर अतिरिक्त (Surplus) राशि को स्वयम ही समानान्तर चलाई जा रही सावधि खाते में हस्तांतरित करता रहता है तथा उस पर सावधि जमा पर लागू ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार जब आवश्यकता पड़ती है तो खाताधारी के निर्देशानुसार सावधि खाते में से भुगतान हेतु बैंक Flexi FDR में से आवश्यक राशि बचत खाते में हस्तांतरित कर देता है ताकि खाताधारी रोकड़ से सम्बन्धित अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मन्दिर न्यास द्वारा इस खाते से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन तथ चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गईः–

(i) बैंक द्वारा समय–2 पर खाते की कार्य प्रणाली के अनुसार ₹1252000/– बचत खाते में से सावधि खाते में हस्तांतरित की गई थी, परन्तु यह राशि दिनाँक 31.03.13 को दर्शाए गये बैंक Flexi FDR की शेष ₹9613448/– में जमा नहीं की गई थी। यह राशि दिनाँक 31.3.13 के पश्चात कब सावधि जमा खाते में जमा की गई इससे सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह राशि सावधि खाते में जमा कर दी गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्रवाई करके तथा बैंक से स्थिति का आंकलन करवाकर वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) इसी प्रकार भुगतान हेतु बैंक द्वारा ₹655054/– सावधि जमा खाते में से बचत खाते में हस्तांतरित की गई थी परन्तु यह राशि दिनाँक 31.03.13 को दर्शाए गये सावधि जमा खाते की शेष ₹9613448/– में से घटाई नहीं गई थी। यह राशि दिनाँक 31.03.13 के पश्चात कब सावधि जमा खाते में से घटाई गई इससे सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण यह राशि सावधि खाते में से घटाई गई या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) बैंक समाधान विवरणी के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा ₹16618/– के चैक भुगतान हेतु जारी किये गये थे जोकि 31.3.2013 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी न तो इन चैकों का विवरण दिया गया तथा न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिससें यह स्पष्ट हो सके कि 31.3.13 के पश्चात इन चैक्स की राशि का भुगतान हो गया था या नहीं। अतः अब इस बारे आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(II) पंजाब नैशनल बैंक, काला अम्बः–

बैंक समाधान विवरण के अनुसार न्यास के खाते में ₹5000/– दिनाँक 20.12.11 को ऑनलाईन (online) जमा करवाई गई थी। Day Book में यह प्रविष्टि दिनाँक 20.12.11 तथा 02.03.12 को दो बार कर दी गई थी। इस त्रुटि का खातों में संशोधन कब किया गया इससे सम्बन्धित कोई प्रविष्टि अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं दिखाई गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(III) एच0डी0एफ0सी0 नाहनः–

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार ₹979.82 का अन्तर दर्शाया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक बार–2 आग्रह करने के पश्चात भी इस अन्तर से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

5 रोकड़ बही का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। मन्दिर के लेखों के रख रखाव हेतु कम्पयूटराइज्ड प्रणाली टेली का प्रयोग किया जा रहा था। इसके आधार पर प्राप्ति तथा भुगतान खाता (Receipt & Payment Account), डे बुक (Day book) तथा विभिन्न खाता बहियों का रख रखाव तो किया जा रहा था जिसमें मन्दिर न्यास की प्राप्तियाँ/भुगतानों के वर्गीकृत खातों तथा समायोजन की प्रविष्टियाँ को भी विस्तृत रूप से दर्शाया गया है परन्तु किसी विशेष तिथि को रोकड़/बैंक/सावधि जमा खातों के शेष को कहीं भी नहीं दर्शाए गए है। इसके अतिरिक्त DDO द्वारा प्राप्ति तथा भुगतान खाते (Receipt & Payment Account), डे बुक (Day Book) तथा विभिन्न खातों (Ledger Accounts) में नियमित रूप से प्रविष्टियों का सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त खातों में सलग्न किये गये पृष्ठों की सँख्या भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव करने के साथ–2 तथा प्राप्ति तथा भुगतान खाता (Receipt & Payent Account), डे बुक (Day Book) तथा विभिन्न खाता बहियों से सम्बन्धित प्रविष्टियों को भी DDO से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे मेंः–

मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.03.2013 तक विभिन्न बैंकों में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 11 खाते खुलवा गए थे जिनमें से अधिकतम खाते राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंकों में थे जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन–आई0एफ0 (ए) 1–68/91–V, फाईनेंस डिपार्टमेंट (आई0एफ0) दिनाँक, शिमला–171002, 17.04.14 में दिए गये निर्देशों की अवहेलना है। इन निर्देशों के अनुसार सरप्लस फंडस को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोपरेटिव बैंक में निवेश किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट

करने के साथ–2 भविष्य में सरप्लस फंडस का निवेश उपरोक्त पत्र में दिए गये निर्देशों के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेशः–

(क) नियमानुसार सावधि निवेश रजिस्टर तैयार न करना :–

मन्दिर न्यास द्वारा समय–2 पर विभिन्न बैंकों के सावधि जमा खातों में राशियों का निवेश किया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिससे निवेशित राशियों की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं हो पाती है। इस प्रकार अभिलेख का अनुरक्षण न करने तथा सावधि जमा खातों पर प्राप्त ब्याज से सम्बन्धित दस्तावेज पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार सावधि जमा ब्याज से सम्बन्धित खातों में दर्शाए गये प्राप्त ब्याज के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकीः–

अवधि	विभिन्न बैंकों से इस अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज	विवरण
2010–11	410155.05	**परिशिष्ट "ख"**
2011–12	278538.76	**परिशिष्ट "ख"**
2012–13	2317842.00	**परिशिष्ट "ख"**

अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सावधि निवेश रजिस्टर का अनुरक्षण करके आगामी अंकेक्षण पर उपरोक्त प्राप्त की सम्बन्धित दस्तावेजों सहित पुष्टि करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) निवेशों पर ₹7607/– कम ब्याज प्राप्त होने बारेः–

मन्दिर प्रबन्धन द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि जमा खाता में किये गये निवेशों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार बैंकों द्वारा लगभग ₹7607/– का कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है। अतः इस बारे में संस्था द्वारा अपने स्तर पर आन्तरिक पड़ताल करके यह मामला सम्बन्धित बैंकों से उठाया जाए तथा कम प्राप्त हुए ब्याज की ₹7607/– की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम/ब्याज की दर/अवधि	निवेश की तिथि	परिपक्वता की तिथि	सावधि जमा सं0	सावधि जमा की राशि	परिपक्व राशि	जितना ब्याज प्राप्त हुआ	वास्तविक ब्याज जितना प्राप्त होना चाहिए था	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (₹)
हि0को0बैं0 त्रिलोकपुर, 9.5%/1 वर्ष	21.10.11	21.10.12	591370	2212245	2422408	210163	217770	7607

(ग) बैकों द्वारा निवेश पर ब्याज (Credit) करते समय ₹741302/– की स्त्रोत पर आय कर के रूप में कटौती किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बैंकों द्वारा निम्नानुसार सावधि जमा खातों में ब्याज जमा (Credit) करते समय ₹741302/– की कटौती स्त्रोत पर आय कर के रूप में की थी जोकि सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि धार्मिक संस्था होने के नाते मन्दिर की आय आयकर से मुक्त होती है। अतः इस बारे में यह मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर ₹741302/– की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वित्त वर्ष	बैंक का नाम	स्त्रात पर की गई आयकर कटौती की राशि
1	2011–12	एच0डी0एफ0सी0 नाहन	6095.34
2	2012–13	हि0प्र0को0 बैंक त्रिलोकपुर	735207.00
		कुल योग	**₹741302.00**

8 रसीद बुकों के इस्तेमाल में पाई गई अनियमितताओं के बारे मेंः–

मन्दिर ट्रस्ट को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त हो रही आय से सम्बन्धित रसीद बुकों के लेखा परीक्षण के दौरान रसीद बुकों के इस्तेमाल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) रसीद बुक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार रसीद बुकों का शेष स्टॉक रजिस्टर में कम दर्शाया गया थाः–

रसीद संख्या का शीर्ष	दिनाँक 31.3.13 को जितना शेष वास्तव में था	दिनाँक 31.3.13 को जितना शेष दर्शाया गया था	दिनाँक 31.03.13 को जितना शेष कम दर्शाया गया था
रसीद (₹10)	61	शून्य	61

(ख) स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वास्तविक रसीद बुकों की संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गये शेष से कम थी जोकि सही प्रतीत नहीं होती हैः–

रसीद बुक का शीर्ष	दिनाँक 31.3.13 को स्टॉक बुक के अनुसार रसीद बुकों का शेष	रसीद बुकों की क्रम संख्या	रसीद बुकों की कुल संख्या तथा शेष	दिनाँक 31.3.13 को जितनी रसीद बुकें स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गये शेष से कम थी
सेल ऑफ गुडस		15001 से 20000 तक (18401 से 18600 तक छोड़कर)	48	

		12501 से 13000=5	5	
	54	**कुल शेष**	53	1
सराय तथा यात्री निवास	146	35501 से 50000	145	1

(ग) रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि एक ही क्रम संख्या की रसीद बुकों को पुनः प्रिंट तथा गलत प्रिंट करवा लिए जाने के कारण निम्नानुसार रसीद बुकों को नष्ट कर दिया गया था परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन रसीद बुकों को नष्ट किये जाने से सम्बन्धित दिए गए प्रमाण पत्र कहीं भी दर्ज नहीं किया गया जिस कारण इन रसीद बुकों के वास्तव में नष्ट किये जाने से सम्बन्धित तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी।

रसीद बुकों का शीर्ष	रजिस्टर की पृ0 सं0	अवधि जब छपवाई गई थी	रसीद बुकों की क्रम संख्या	रसीद बुकों की सं0
सेल ऑफ गुडस	130	07/2010	18401 से 18600	2
₹50 मूल्य वर्ग की	27 तथा 28	06/11	40001 से 41900 तक	19

(घ) मन्दिर न्यास द्वारा ₹50 मूल्यवर्ग (denomination) की 108 रसीद बुकें ₹8371 में छपवाई गई थी जिसमें से 19 रसीद बुकें (40001 से 41900) एक ही क्रम संख्या की पुनः छपवा ली गई थी। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर तथा इन रसीद बुकों का अलग से लेखा जोखा रखकर इनको भी तदानुसार प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) रसीद बुक रजिस्टर की पड़ताल के दौरान पाया गया की निम्नलिखित रसीद बुकों में 100 से कम रसीदें दर्शाई गई थी। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि यह रसीद बुकें प्रिटिंग के दौरान ही कम प्रिंट हुई थी परन्तु यह तथ्य कि रसीद बुकों मे वास्तव में ही 100 से कम रसीदें थी, को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था।

रसीद बुक का शीर्ष	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर की पृ0सं0	रसीद बुक की क्रम सं0	दिनाँक	रसीदों की जो क्रम संख्या रसीद बुक में संलग्न नहीं थी	रसीदों की संख्या जो रसीद बुक में संलग्न नहीं थी
भवन निर्माण दान	94 व 95	93601 से 93670	21.06.10	93671 से 93700	30

रसीद बुक (₹1000)	164	1401 से 1485	12.10.10	1486 से 1500	15
रसीद बुक (₹500)	104	2401 से 2481	12.10.10	2482 से 2500	19
रसीद बुक (₹1000)	2	2401 से 2488	12.10.10	2489 से 2500	12
रसीद बुक (₹100)	14	33901 से 33979	12.10.10	33980 से 34000	21
रसीद बुक (₹20)	44	23801 से 23885	12.10.10	23886 से 23900	15

(च) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा रसीद बुकों का प्रयोग क्रमवार नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः–

आय से सम्बन्धित रसीद बुक	अवधि	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
भवन निर्माण दान	08.10.10 से 05.03.12	95 तथा 96	रसीद संख्या 97501 से 98000 के पश्चात 99001 से 99100 जारी की गई थी तथा इसके पश्चात 98001 से 99000 मे जारी की गई थी
रसीद बुक (₹100)	28.02.11 से 09.03.11	16	रसीद संख्या 34401 से 34500 के पश्चात 35201 से 35300 जारी की गई थी तथा इसके पश्चात 34501 से 34600 तक जारी की गई थी।
रसीद बुक (₹20)	11.04.11 से 05.10.11	44	रसीद संख्या 23901 से 24000 के पश्चात 20001 से 21000 जारी की गई थी तथा इसके पश्चात 24001 से 25000 तक जारी की गई थी
रसीद बुक (₹1000)	08.08.11 से 03.12.11	3	रसीद संख्या 2001 से 2488 के पश्चात 2601 से 2700 जारी की गई थी तथा इसके पश्चात 2501 से 2600 तक जारी की गई थी।

(छ) मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न मूल्यवर्ग की 1764 रसीद बुकें जारी की गई थी परन्तु इन सभी रसीद बुकों से प्राप्त आय का इन्द्राज रोकड़ बही में कब–कब किया गया इससे सम्बन्धित किसी भी अभिलेख का अनुरक्षण किया जा रहा पाया गया जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों से प्राप्त आय का इन्द्राज रोकड़ बही में कर दिया गया था अथवा नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त उक्त **परिशिष्ट "ग"** के अनुसार दिनाँक 01.04.10 को मन्दिर निर्माण दान से सम्बन्धित रसीद बुको के आरम्भिक शेष में 100 रसीद बुकें दर्शाई गई परन्तु दिनाँक 01.04.10 से 31.03.12 तक स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 103 रसीद बुकें जारी की गई दर्शाई गई थी जो कि उपलब्ध मात्रा से 3 अधिक थी जोकि सम्भव नहीं है।

(ज) मन्दिर न्यास द्वारा कई रसीदें रद्द की गई थी तथा रसीदों पर कटिंग्स एवं ओवर राईटिंगस भी की गई थी जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित किया गया था। उपरोक्त अनियमितताओं के चलते रसीद बुकों के स्टॉक में गड़बड़ियों की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः न्यास स्तर पर रसीद बुक्स के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति को रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 सोना एवं चाँदीः–

(क) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर के सोना–चाँदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि की सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष		कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
2010–11	**प्रारम्भिक शेष**	9	373	300
	प्राप्त सोने की मात्रा	–	357	–
	अन्तिम शेष	9	730	300

2011–12		कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
	प्रारम्भिक शेष	9	730	300
	प्राप्त सोने की मात्रा	–	708	300
	अन्तिम शेष	10	438	600
2012–13		कि0ग्रा0	ग्रा0	मि0ग्रा0
	प्रारम्भिक शेष	10	438	600
	प्राप्त सोने की मात्रा	–	478	900
	अन्तिम शेष	10	917	500

सोने के दिनाँक 31.03.13 को दर्शाए गए उक्त अन्तिम शेष का शीर्षानुसार विवरण निम्नानुसार थाः–

(क) जिला कोषागार, नाहन में जमा सोना	10300.500 ग्राम
(ख) प्रबन्धक, मन्दिर न्यास के पास जमा सोना	581.000 ग्राम
(ग) मन्दिर में स्थापित किया गया सोना	36.000 ग्राम
अन्तिम शेष का कुल योग	**10917.500 ग्राम**

नोटः– पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/02 से 3/10 के पैरा 4 (ii) में कम दर्शाई गई 50 ग्राम सोना की मात्रा को दिनाँक 31.12.12 को स्टॉक शेष में बढ़ाकर कोषागार में जमा दर्शाया गया है परन्तु कोषागार में इस जमा का कोई प्रमाण अंकेक्षण को नहीं दर्शाया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि कोषागार नाहन में जमा सोने का सक्षम प्राधिकारी से भौतिक सत्यापन करवाकर कोषागार में जमा सोने के वास्तविक शेष बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–A (2) (A) (ii) के प्रावधानानुसार 20**%** सोंना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड ब्रांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचनाओं के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी वंचित रहना पड रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) श्री महामाया बाला सुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर के सोना–चाँदी के भण्डार के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि की चाँदी के स्टॉक की वर्षवार वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थीः–

वित्तीय वर्ष		**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
2010–11	**प्रारम्भिक शेष**	10	25	002	340
	परिशिष्ट "घ" में दिए गए विवरण के अनुसार प्रारम्भिक शेष 16594.900 ग्राम बढ़ाया गया है	–	16	594	900
	दुरूस्ती के उपरान्त प्रारम्भिक ोष	10	41	597	240
	प्राप्त चाँदी में मात्रा		80	903	000
	अन्तिम शेष	11	22	500	240
2011–12		**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
	प्रारम्भिक शेष	11	22	500	240
	प्राप्त चाँदी में मात्रा	1	38	827	800
	अन्तिम शेष	12	61	328	040
2012–13		**क्विंटल**	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
	प्रारम्भिक शेष	12	61	328	040
	प्राप्त चाँदी में मात्रा	2	15	153	430
	अन्तिम शेष	14	76	481	470

चाँदी के दिनाँक 31.03.13 को दर्शाए गए उक्त अन्तिम शेष का शीर्षानुसार विवरण निम्नानुसार था:—

(क) जिला कोषागार, नाहन में जमा चाँदी	662165.280 ग्राम
(ख) प्रबन्धक, मन्दिर न्यास के पास जमा चाँदी	527149.170 ग्राम
(ग) मन्दिर में स्थापित की गई चाँदी	285890.000 ग्राम
(घ) श्री नवकर ज्वेलर, अम्बाला सिटी के पास शेष चाँदी	1277.020 ग्राम
अन्तिम शेष कुल योग	**1476481.470 ग्राम**

(घ) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12—ए (2) (B) (iii) के प्रावधानानुसार 60**%** चाँदी को सिक्के में ढालकर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचनाओं के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने से विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायैं

(ङ) चाँदी के भण्डार रजिस्टर में दान में प्राप्त चाँदी 93634.000 ग्राम की गणना करना:—

अंकेक्षण को प्रस्तुत सोना—चाँदी के भण्डार लेखों से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया के निम्न विवरण अनुसार दान में प्राप्त 93634.000 ग्राम चाँदी की गणना भण्डार लेखों में नहीं की गई थी जिसकी अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित स्टॉक में प्रविष्टियाँ की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में सोना—चाँदी के स्टॉक के लेखों में समस्त प्रविष्टियाँ करके इन रजिस्टरों का सही ढ़ंग से रख—रखाव किया जाए एवम प्रतिवर्ष शेष का भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:—

गला रजिस्टर पृ0सं0/प्राप्ति दिनाँक	दान में प्राप्त चाँदी की वस्तु का नाम	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या जिसमें गणना करवाई गई	दान में प्राप्त चाँदी की वस्तु की मात्रा (ग्राम में)
41/20.09.10	चाँदी की थाली	20	586.600
41/20.09.10	चाँदी की कटोरी	29	180.400
41/20.09.10	चाँदी का डोंगा	27	182.000
41/20.09.10	चाँदी की प्लेट (छोटी)	44	83.600

41/20.09.10	चाँदी का लोटा व चम्मच	25	129.200
41/20.09.10	चाँदी की ज्योति	41	786.600
41/20.09.10	चाँदी की मूर्ति प्लेट	151	632.400
41/20.09.10	चाँदी का बड़ा छत्र	15	25000.000
30.06.11	चाँदी का चंवर	27	542.000
30.06.11	चाँदी का दरवाजा	7	22500.000
30.06.11	चाँदी की ज्योत बड़े आकार की	41	513.000
30.06.11	चाँदी की ज्योत छोटे आकार की	41	734.000
30.06.11	चाँदी की गोल ज्योत	41	360.000
30.06.11	चाँदी की ज्योत	41	98.000
30.06.11	चाँदी का बढ़ा छत्र	15	1418.000
30.06.11	चाँदी का छोटा छत्र	15	210.000
30.06.11	चाँदी का मुकुट	16	742.000
30.06.11	चाँदी का मुकुट	16	52.000
30.06.11	चाँदी की माता की मूर्ति	150	925.200
30.06.11	चाँदी की ज्योत	41	1029.000
30.06.11	चाँदी की पौडी	19	13400.000
30.06.11	चाँदी का दरवाजा	7	22000.000
30.06.11	चाँदी की चौंकी	31	1350.000
30.06.11	चाँदी की धूपिया	42	180.000
	कुल योग		**93634.000**

10 भारत संचार लिमिटेड से किराये की ₹20000/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मन्दिर न्यास ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड को टेलीफोन एक्सचेंज हेतु कमरा ₹5000/– मासिक पर किराए पर दिया हुआ है। इससे सम्बन्धित अभिलेख तथा मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ङ"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि

मन्दिर न्यास को वर्ष 2011–12 के किराए के रूप में ₹20000 / – प्राप्त नहीं हुए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

11 गल्लों की कुल संख्या तथा क्रम संख्या न दर्शानाः–

चयनित माहों में मन्दिर न्यास द्वारा पास आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रत्येक माह में दो या तीन बार मन्दिर न्यास के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गल्लों को प्राप्त आय की गणना हेतु तथा आय की राशि बैंक में जमा करवाने हेतु खोला जाता है परन्तु मन्दिर के विभिन्न स्थानों पर कुल कितने गल्ले स्थापित किये गये थे इस बारे कोई भी जानकारी अभिलेख में दर्ज की गई नहीं पाई गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गल्लों पर क्रम संख्या दर्ज करके स्थापित गल्लों की कुल संख्या अभिलेख में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि गल्लों के खोले जाने पर इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि सभी गल्लों से पास आय बैंक खातों में जमा करवाया दी गई है।

12 श्रद्धालुओं द्वारा दान में चढ़ाई गई विभिन्न वस्तुओं को सक्षम प्राधिकारी / कमेटी के अनुमोदन के बिना तथा विहित प्रक्रिया अपनाए बिना ही विक्रय करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रद्धालुओं द्वारा मन्दिर में विभिन्न वस्तुएं जैसे कि घी, चुनी, नारियल टोकरियाँ, बाल्टियाँ, पंखे, टयूब लाईटस, घंटियां, साडी, सूट सफेद कपड़ा इत्यादि दान में चढ़ाई गई। मन्दिर न्यास द्वारा दान में प्राप्त इन वस्तुओं में से कुछ का विक्रय कर दिया जाता है। **परिशिष्ट "च"** द्वारा उपलब्ध करवाई जानकारी के अनुसार मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹2222003 की विभिन्न वस्तुओं का विक्रय किया गया था परन्तु इन वस्तुओं के विक्रय हेतु रेटस किस प्राधिकारी द्वारा कौन सी पक्रिया अपना कर निर्धारित किये गये थे, इस बारे कोई दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि न तो इन वस्तुओं के विक्रय हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा न ही विक्रय हेतु मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर कोई प्रक्रिया अनुमोदित की गई थी। इस विषय पर चर्चा के दौरान अंकेक्षण दल को अवगत करवाया गया कि कुछ प्रकरणों को छोड़ कर अधिकतम प्रकरणों में प्रबन्धक के निर्देशानुसार ही वस्तुओं का भिन्न–2 दरो पर विक्रय किया गया था। अतः इन वस्तुओं का विक्रय नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाकर न करने बारे

अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

13 विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹15414 की दैनिक रोकड़ संग्रह रजिस्टर में कम गणना करनाः—

चयनित माहों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से ₹15414/— की दैनिक संग्रह रजिस्टर में कम गणना की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कम जमा की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	आय का शीर्ष	दैनिक संग्रह रजिस्टर की पृ0सं0	रसीद संख्या	दिनाँक	जितनी राशि प्राप्त हुई	जितनी राशि वास्तव में बनती थी	जितनी राशि कम प्राप्त की गई
1	धर्मशाला से प्राप्ति	47	33426 से 458	01.10.12	4480	4530	50
2	डेली भंडारा मेम्बरशिप	48	31199 से 31200	0.12.12	1200	2200	1000
3	जलपान सेवा केन्टीन	50	30504 से 10	03.10.12	4670	4710	40
4	डोनेशन (₹20 की रसीद बुक)	71	29250 से 29300	20.10.12	1010	1020	10
5	मन्दिर धर्मशाला से प्राप्ति	77	33692 से 700 तथा 33701 से 721	23.10.12	3785	3885	100
6	ग्रांऊड रेट	77	2341 से 48	23.10.12	16000	20000	4000
7	सेल ऑफ जनरल गुडस	79	13952 से 966	24.10.12	6350	6358	8
8	डेली भण्डारा मेम्बरशिप	85	31501 से 512	27.10.12	5500	8500	3000
9	डोनेशन (₹500 की रसीद बुक)	87	5919 से 5917	28.10.12	26000	26500	500

10	मन्दिर धर्मशाला से प्राप्ति	153	30003 से 07	03.03.12	410	610	200
11	मन्दिर धर्मशाला से प्राप्ति	155	30008 से 37	06.03.12	4095	4525	430
12	डोनेशन (₹50 की रसीद बुक)	157	48991 से 49000 तथा 49001 से 090	09.03.12	4500	5000	500
13	डोनेशन (₹50 की रसीद बुक)	10	49615 से 700	23.03.12	4250	4300	50
14	घर्मशाला आरक्षण	276	23801 से 12	08.10.10	1620	1640	20
15	भण्डारा मेम्बरशिप	279	22852 से 71	09.10.10	13100	13700	600
16	डोनेशन (₹50 की रसीद बुक)	280	27201 से 221	09.10.10	550	1050	500
17	भवन निर्माण दान	285	97807 से 886	13.10.10	37775	37826	51
18	धर्मशाला की बुकिंग	286	23901 से 922	10.10.10	2915	2985	70
19	धर्मशाला की बुकिंग	292	23966 से 985	16.10.10	2620	2655	35
20	डोनेशन (₹100 की रसीद बुक)	292	29810 से 29900	16.10.10	8900	9100	200
21	डोनेशन (₹50 की रसीद बुक)	294	28852 से 900	17.10.10	2400	2450	50
22	भण्डारा मेम्बरशिप	294	22538 से 56	17.10.10	7200	11200	4000
						कुल योग	**₹15414**

14 रसीदों से प्राप्त आय की प्रविष्टियों का कैश बुक में न पाया जानाः–

चयनित माहों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार रसीद बुकों से प्राप्त आय की ₹7200/– की प्रविष्टियाँ दैनिक संग्रह रजिस्टर तथा कैश बुकें में नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹7200/– की वसूली ब्याज सहित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	आय का शीर्ष	दैनिक संग्रह रजिस्टर की पृ0सं0	रसीद संख्या	दिनाँक	राशि
1	डोनेशन (₹100 की रसीद बुक)	66	69001 से 69072	17.10.12	7200
				कुल योग	**7200**

15 प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख (रसीद बुकें व अन्य सम्बन्धित अभिलेख) बार–2 लिखित तथा मौखिक रूप से आग्रह करने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण ₹208000/– की प्राप्ति की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्रम संख्या	शीर्ष	पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	दिनाँक	राशि
1	ग्राउंड रेट	280	––––	09.10.10	6000
2	प्लाट ग्राउंड रेट	284	––––	12.10.10	17200
3	यथोपरि	287	––––	15.10.10	31050
4	यथोपरि	290	––––	15.10.10	30950
5	प्लाट ग्राउंड रेट	293	––––	16.10.10	34000
6	प्लाट ग्राउंड रेट	295	––––	17.10.10	23200
7	यथोपरि	297	––––	18.10.10	4500
8	यथोपरि	299	––––	19.10.10	38300
9	डोनेशन (₹500)	2	532 से 47	21.10.10	8000

10	ग्राउंड रेट	3	————	22.10.10	5000
11	ग्राउंड रेट	3	————	23.10.10	2650
12	स्टाफ क्वाटर रेन्ट	152	3541	01.03.12	2250
13	सेल आफ टेंडर फार्म	3	3696	16.03.12	1400
14	ग्राउंड रेट	90	————	29.10.12	3500
				कुल योग	**₹208000**

16 जलपान गृह के किराए की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएः—

(क) जलपान गृह के किराए की ₹494070/— की वसूली न करनाः—

जलपान गृह से प्राप्त आय से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट "छ"** के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार तथा चर्चा करने पर पाया गया कि निम्नानुसार जलपान गृह बुक में किराए के रूप में सम्बन्धित फर्मों/व्यक्तियों से ₹494070 की कम वसूली की गई।

फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे जलपान गृह किराए पर दिया गया था	**अवधि जिसके लिए किराए पर दिया गया/कुल अवधि**	**अवार्ड पत्र संख्या/दिनाँक**	**जितना किराया प्राप्त किा जाना अपेक्षित था**	**जितनी किराए की राशि तथा प्रतिभूति राशि प्राप्त की गई**	**जितनी राशि कम प्राप्त की गई**
मैसर्ज लोयन सर्विसेज, चण्डीगढ़	23.2.10 से 22.2.12/2 वर्ष	58 दिनाँक 23.2.10	297840 (₹12410 प्रति माह की दर से 2 वर्ष का)	163770	134070
श्री सुनील कुमार, तिलक नगर, दिल्ली	अवार्ड पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया/2 वर्ष	अवार्ड पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।	480000 (₹20000 प्रति माह की दर से 2 वर्ष का)	120000	360000
				कुल योग	**₹494070**

(ख) वर्तमान संविदाकार से जलपान गृह अग्रिम किराए तथा मासिक किराए की ₹21000 की वसूली न करनाः—

इसके अतिरिक्त वर्तमान जलपान गृह का ठेका श्री दीपक, निवासी यमुना नगर, हरियाणा को दिनाँक 14.09.12 से 3 वर्ष के लिए दिया था। मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में प्रतीत होता है कि संविदाकार से निविदा की शर्त संख्या 6 के अनुसार अग्रिम किराए की ₹18000/– (जोकि वाषिक किराए की ₹72000/– का 25**%** है) वसूल ही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त संविदाकार से दिनाँक 14.09.12 से 31.03.13 (₹6000 प्रति मासिक की दर से) किराया की ₹33400/–वसूल की जानी अपेक्षित थी जबकि इस अवधि के दौरान किराया की ₹30000/– वसूल की गई थी अर्थात किराये की ₹3400/– की कम वसूली की गई। अतः संविदाकार से ₹18000 तथा ₹3400. अर्थात ₹21000 की वसूली अब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ग) जलपान गृह को अनुबन्ध पर दिए जाने से सम्बन्धित अन्य अनियमितताऐंः—

(i) उपरोक्त के अतिरिक्त जलपान गृह को अनुबन्ध पर दिए जाने से सम्बन्धित शर्तों के अवलोकन के दौरान पाया गया कि शर्तों के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्धित राशि का 25**%** भाग अग्रिम राशि के रूप में आरम्भ में ही जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा निम्नानुसार अनुबन्ध की अग्रिम के तौर पर ₹97230/–की पहले ही कम वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त शर्तो के अनुसार सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्धित राशि का 25**%** अग्रिम राशि के रूप में जमा करने के अलावा शेष बची राशि के लिए 24 चैक जमा लिए जाने अनिवार्य थे ताकि फर्म द्वारा अनुबन्ध पूरा न करने की स्थिति में न्यास को होने वाली किसी भी हानि की सम्भावना से बचाया जा सके। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि न्यास द्वारा दो वर्ष के स्थान पर केवल एक वर्ष के लिए ही चैकस प्राप्त किये गये थे तथा उनके द्वारा जमा करवाए गए एडवांस चैकस भी बीच में बैंक में लगाने पर बाउंस हो गये थे। चैक बाउंस होने की स्थिति में भी न्यास द्वारा सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।

फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे जलपान गृह किराए पर दिया गया था	जितनी राशि के लिए अनुबन्ध किया गया था	जितनी राशि अग्रिम के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी (अनुबन्धित राशि का 25%)	जितनी राशि अग्रिम के रूप में वसूल की गई	जितनी राशि अग्रिम के रूप में कम वसूल की गई
मैसर्ज लोयन सर्विसेज, चण्डीगढ़	297840	74460	37230	37230

श्री सुनील कुमार, तिलक नगर, दिल्ली	480000	120000	60000	60000
			योग	**₹97230**

(ii) माह सितम्बर/2011 में जलपान गृह की गई नीलामी की निविदा (Tender) की शर्त संख्या 2 के अनुसार संविदाकार से ₹50000/– प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति के रूप में वसूल करनी अनिवार्य थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यह राशि सम्बन्धित संविदाकार से वसूल ही नहीं की गई।

(iii) मन्दिर न्यास द्वारा चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मैसर्ज लोयन सर्विसेज, चण्डीगढ़ से अग्रिम किराए की ₹37230/– तथा प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की ₹25000/– प्राप्त की गई थी परन्तु इन राशियों की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख न तो अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये तथा न ही फर्म द्वारा किराया न दिए जाने पर प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति ₹25000/– ठेका प्रदान करने की शर्त संख्या 9 के अनुसार जब्त करने बारे तथ्य की पुष्टि करवाई गई। अतः उपरोक्त अभिलेख तथा इन तथ्यों की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा पिछले संविदाकारो से अग्रिम किराए की राशि तथा प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति की पूरी राशि की वसूली यथा समय रहते न करने पर भी उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

17 यात्री निवास तथा पानीपत धर्मशाला के किराये इत्यादि से सम्बन्धित अनियमितताएं:–

(क) चयनित मासों में मन्दिर न्यास के यात्री निवास तथा पानीपत धर्मशाला की आगंतुक पंजिका (Visitor Register) में प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा न तो यात्री निवास के किराये की वसूली नियमानुसार की जा रही है तथा न ही यात्री निवास के किराये की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का उचित प्रकार से रख रखाव किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त चयनित मासों में यात्री निवास की आगंतुक पंजिका की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नानुसार आगंतुकों से ठहराव शुल्क की ₹950/– कम वसूली की गई थी जिसकी वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यात्री निवास के किराये की वसूली से सम्बन्धित अन्य

अभिलेख की न्यास स्तर पर विस्तृत जांच करके तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

आगंतुक पंजिका पृ0सं0	**आगंतुक पंजिका की क्रम सं0**	**ठहरने वाले का नाम व पता**	**तिथि /आने का समय**	**तिथि /जाने का समय**	**कमरा सं0**	**ठहराव शुल्क जितना वसूल किया गया**	**ठहराव शुल्क जितना शुल्क किया जाना चाहिए था**	**ठहराव शुल्क जितना कम वसूल किया गया**
190	2950	श्री विनोद कुमार	14.10.12/ 7:10PM	15.10.12/11:30 AM	107	शून्य	400	400
117	1755	श्री केतन	20.3.12/ 10:15PM	21.3.12/9AM	17	शून्य	450	450
193	2984	श्री मदन लाल	17.10.12/ 8:40PM	18.10.12/9AM	101, 103 तथा डोरमेट्री 18 में एक बेड	1015	1115 (400+625+90)	100
							कुल योग	**₹950**

(ग) यात्री निवास तथा धर्मशाला से प्राप्त राशि में से ₹3305/– का बैंक में कम जमा करवाया जानाः–

चयनित मासों में प्राप्त आय की बैंकों में जमा की पड़ताल के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "झ"** में दिए गए विवरण के अनुसार यात्री निवास तथा धर्मशाला से माह 10/2010 में प्राप्त आय में से ₹3305/– सम्बन्धिज बैंक में कम जमा करवाई गई। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹3305/– की उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके मन्दिर न्यास निधि के खाते में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेखण पर अवगत करवाया जाए।

18 मेले के दौरान प्लाटों की नीलामी से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ठ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मेले के दौरान प्लाटों की नीलामी में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जोकि चयनित मासों से सम्बन्धित थी।

(क) दिनाँक 09.10.10 से 22.10.10 के दौरान आयोजित मेले के दौरान मन्दिर न्यास को प्लाटों की नीलामी से ₹311350/– की आय हुई थी परन्तु इस अवधि के दौरान प्लाटों की नीलामी

से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण ही नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त प्राप्त आय सही थी अथवा नहीं। अतः प्लाटों की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ख) दिनाँक 01.10.12 से 29.10.12 आयोजित मेले के दौरान मन्दिर न्यास को प्लाटों की नीलामी से ₹522800/– की आय प्राप्त की जानी अपेक्षित थी परन्तु यह आय ₹520800/– की ही प्राप्त की गई थी अर्थात आय के रूप में ₹3500/– कम प्राप्त की गई। चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि दुकानदारों से प्लाटों की नीलामी की शर्तों के अनुसार नीलामी की राशि का 50**%** आरम्भ में तथा शेष राशि मेले के समापन से पूर्व प्राप्त की जाती है परन्तु कुछ दुकानदार मेले के समापन से पूर्व ही शेष राशि के भुगतान से बचने हेतु दुकानें छोड़ देते जिस कारण उपरोक्त शेष राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि दुकानदार मेले के समापन से पूर्व ही जा चुके थे। अतः भविष्य में प्लाटों की नीलामी से सम्बन्धित पूरी राशि की वसूली मेले के आरम्भ में ही वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि मन्दिर न्यास को हानि की सम्भावना से बचाया जा सके।

19 बजट का सक्षम प्राधिकारी से बजट अनुमोदित करवाए बिना ही लगभग ₹11.85 करोड़ का व्यय मन्दिर न्यास निधि से करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रबन्धकीय समिति से अनुमोदित करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रबन्धकीय समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया था अपितु अनुमानित आय व व्यय की वार्षिक विवरणी केवल सहायक आयुक्त से अनुमोदित करवाई गई थी। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति के अनुसार लगभग ₹11.85 करोड़ का व्यय बिना बजट के अनुमोदन करवाए ही किया गया जिसका विवरण निम्न विवरण प्रकार से दिया गया है जिसे अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय
2010–11	3.48
2011–12	3.71
2012–13	4.66
योग	**₹11.85**

20 सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव सही ढ़ंग से न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया गया था। सेवा पंजिकाओं के विभिन्न मदों को सही तरीके से तैयार नहीं किया गया था जैसे वेतन से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ, वेतन निर्धारण के आदेशों का सही व नियमानुसार इन्द्राज नहीं किया जाना तथा छुट्टियों के खातों का भी नियमानुसार पूर्ण रूप से नहीं बनाया जाना इत्यादि। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 2/2002 से 3/2010 की ऑडिट रिपोर्ट के पैरा 13 के अन्तर्गत भी आपत्तियाँ उठाई गई थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता कि इस पर कतई गौर नहीं किया गया था जोकि गम्भीर चिंता का विषय है। चूंकि कर्मचारियों को सेवाकाल तथा सेवा निवृति उपरान्त देय विभिन्न वित्तीय लाभों की देयता की गणना व आंकलन सेवा पंजिका में दर्ज एवम सत्यापित प्रविष्टियाँ/आंकड़ों पर आधारित होता है, इसलिए कर्मचारियों को देय वित्तीय लाभों की समयानुसार तथा उचित दर से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव एवम अधयतन सही ढंग से किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः यह मामला उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में उचित कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार करने के साथ–2 समय–समय पर इन्हें Update भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर पदों का सृजन व नियुक्तियाँ करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3 (3) सहपठित धारा 5 (4) के अनुसार पदो ंके सृजन तथा नियुक्तियाँ इत्यादि की शक्तियाँ केवल हिमाचल प्रदेश सरकार व मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पास निहित है परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर आयुक्त व उपायुक्त सिरमौर द्वारा नियुक्तियाँ पदो ंके सृजन सहित की थी जोकि अनियमित है। अतः यह मामला मुख्य आयुक्त (मन्दिर), हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु लाया जाता हैः–

22 मन्दिर न्यास द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में पद भरने के फलस्वरूप लगभग ₹76.98 लाख के वेतन का अनियमित भुगतान करनाः–

मन्दिर न्यास के 31.3.13 तक के पदों की स्थिति, जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ढ"** में दर्शाई गई है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत पदों

से 40 पदों को अधिक भरा गया था जिसके फलस्वरूप, उक्त **परिशिष्ट "ढ"** के अनुसार अंकेक्षण की तीन वर्षों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को लगभग ₹76.98 लाख के वेतन का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः स्वीकृति पदों में अधिक पदो के भरने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब उपरोक्त अनियमित वेतन का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

23 सेवा निवृत कर्मचारियों को सेवा निवृति के लाभों की ₹26289/— का अधिक भुगतान करनाः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना एवम सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सेवा निवृत हुए निम्नलिखित कर्मचारियों को देय सेवा निवृति लाभों जैसे सेवा निवृति उपदान व अर्जित अवकाश नगदीकरण इत्यादि का भुगतान किया गया था जिसमें पाई गई अनियमितताओं के कारण निम्नविवरणानुसार ₹26289/— का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये या इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः—

(क) मन्दिर न्यास की नियमावली के अन्तर्गत कर्मचारियों को सेवा निवृति पर 90 दिनों के अर्जित अवकाश नगदीकरण देने का प्रावधान है। नियमानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान की गणना आहरित अन्तिम वेतन+देय मंहगाई भत्ते के आधार पर करनी अपेक्षित होती है किन्तु न्यास द्वारा निम्न वर्णित मामलो से देय राशि की गणना वेतन+देय सभी भत्तों के आधार पर की गई जिसके फलस्वरूप ₹2700/— का अधिक भुगतान किया गया है।

कर्मचारी का नाम व सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि	अर्जित अवकाश नगदीकरण के कुल दिन	अर्जित अवकाश नगदीकरण की गणना हेतु लिया गया वेतन	भुगतान की गई राशि	वास्तविकता में देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि	भुगतान का विवरण
श्री काला सिंह, माली/22.05.11	90 दिन	BP 8127 DA (35%) 2844 HRA 150 Med. All 100 HCA 200 Total 11421	11421x90/30 =34263	BP 8127+DA 2844= 10971x90/30 =32913	1350	Ch. No. 1758822 dated 02.08.11 & Vr. No. 194 dated 02.08.11

श्रीमती माया देवी, काहर व फलेरा /28.02.11	90 दिन	BP 8013 DA (35%) 2805 HRA 150 Med. All 100 HCA 200 Total 11268	11268x90/30 =33804	BP 8013+DA 2805= 10818x90/30 =32454	1350	Ch. No. 17588225 dated 05.05.11 & Vr. No. 207 dated 05.08.11
			कुल योग		2700	

(ख) इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास की कर्मचारी नियमावली, 2003 के नियम 15 (C) (i) के अनुसार "An employee will be entitled for retirement gratuity equal to one month salary for every five years completed service", परन्तु निम्न प्रकरणों में "completed service" की गणना सही नहीं की गई थी तथा नियमानुसार सेवानिवृति उपदान के भुगतान की गणना आहरित अन्तिम वेतन+देय महंगाई भत्ते के आधार पर करने की अपेक्षा अन्तिम वेतन+देय सभी भत्तों के आधार पर की गई जिसके फलस्वरूप ₹23589/– का अधिक भुगतान किया गया था। अतः अधिक किए गए भुगतानों का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान की गई ₹26289 की उचित स्त्रोत से वसूली की जाए।

कर्मचारी का नाम व कुल सेवा अवधि	जितने माह का सेवा निवृति/मृत्यु उपदान देय बनता था	जितने माह का सेवानिवृति/उपदान आहरण किया गया	गणना हेतु लिया गया वेतन	गणना हेतु जो वेतन लिया जाना चाहिए था	भुगतान की गई राशि	वास्तिवकता में देय राशि	अधिक भुगतान की गई राशि	भुगतान का विवरण
श्री काला सिंह, माली व नियुक्ति तिथि 01.06.01 से मृत्यु तिथि 22.05.11 तक=9 वर्ष 11 माह 22 दिन	1 माह	2 माह	BP 8127 DA (35%) 2844 HRA 150 Med All 100 HCA 200 Total 11421	BP 8127 +DA 2844 =10971	11421X2 माह =22842	10971X1 माह =10971	11871	Ch. No. 1758822 dated 02.08.11 & Vr. No. 194 dated 02.08.11
श्रीमती माया देवी, काहर व फलेरा नियुक्ति	1 माह	2 माह	BP 8013 DA (35%) 2805 HRA 150 Med. All 100	BP 8013 +DA 2805 =108	11268X2 माह =22536	10818X1 माह =10818	11718	Ch. No. 1758825 dated 05.08.11 & Vr. No. 207

तिथि 01.06.01 से सेवा निवृति तिथि 28.02.11=9 वर्ष 9 माह			HCA 200 Total 11268	18				dated 05.08.11
					कुल योग		**₹23589**	

24 श्रीमती जगीरो देवी धर्मपत्नी श्री रूल्दा राम, सफाई कर्मचारी को देय तिथि को सेवा निवृत न करने के कारण ₹136584 के वेतन व भत्तो का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करनाः—

श्रीमती जगीरो देवी धर्मपत्नी श्री रूल्दा राम, सफाई कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के अवलोकन से विदित होता है कि उनकी जन्म तिथि 04.07.53 दर्ज थी तथा इस प्रकार नियमानुसार 60 वर्ष की अधिवर्शिता आयु पूर्ण करने पर उन्हें दिनाँक 31.07.13 को सेवा निवृत कर दिया जाना चाहिए था परन्तु वेतन बिलों व प्रस्तुत सेवा अभिलेख से ज्ञात हुआ कि उन्हें निर्धारित तिथि 31.07.13 को सेवा निवृत नहीं किया गया बल्कि नियमों के प्रतिकूल वह बिना किसी सेवा विस्तार की स्वीकृति के अंकेक्षण तिथि तक भी न्यास में सेवारत्त थी जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना एवम गम्भीर अनियमितता है। इस अनियमितता के कारण उन्हें 31.03.14 तक निम्न विवरण अनुसार वेतन व भत्तों की ₹136530/— अनियमित भुगतान किया जा चुका था। अतः उक्त अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	**आहरित वेतन (प्रतिमाह)**		**कुल राशि**
8/13 से 10/13 = 3 माह	मूल वेतन	9120	
	मंहगाई भत्ता (80%)	7296	
	चिकित्सा भत्ता	250	
	प्रतिपूरक भत्ता	200	
	कुल वेतन	16866	50598
11/13 से 12/13 = 2 माह	मूल वेतन	9130	
	मंहगाई भत्ता (80%)	7304	
	चिकित्सा भत्ता	250	
	प्रतिपूरक भत्ता	200	
	कुल वेतन	16884	33768

01/14 से 03/14 = 3 माह	मूल वेतन	7760	
	ग्रेड वेतन	1650	
	मंहगाई भत्ता (80%)	7528	
	चिकित्सा भत्ता	250	
	प्रतिपूरक भत्ता	200	
	कुल वेतन	17388	52164
		कुल योग	**₹136530**

25 **01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करने के उपरान्त देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के गलत नियतन के कारण ₹115782 के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करनाः—**

मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवम 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के आदेशों के चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कुक दिनाँक 22.05.07 को न्यास में नियमित आधार पर नियुक्त हुए थे किन्तु कार्यालय आदेश संख्या AM/AC/Salaries & Wages//2011-12 दिनाँक 22.02.12 द्वारा न्यास द्वारा उनका दिनाँक 01.01.06 से लागू संशोधित वेतमानों में उनका वेतन निर्धारण दिनाँक 01.02.07 से किया गया तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.02.08 निश्चित की गई जबकि वास्तविकता में नियमानुसार वेतन निर्धारण दिनाँक 22.05.07 से तथा अगली वेतन वृद्धि की तिथि 01.05.08 निर्धारित की जानी चाहिए थी। इस अनियमितता के कारण उन्हें 31.03.14 तक निम्न विवरण अनुसार के वेतन व भत्तों की ₹115782/— का अनियमित से अधिक भुगतान किया जा चुका था। अतः नियमानुसार उनके वेतन का सही तिथि से वेतन का निर्धारण किया जाए तथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि भी सही ढ़ंग से निर्धारित करके वेतन व भत्तों के रूप में की अधिक अदा की गई राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

(1) श्री रमेश चन्द, कुक

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	मंहगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
01.02.07 से 21.05.07= 4 माह 2 दिन	4900+1300	Nil	6200	372/ (6%)	30740
01.02.08 से 30.04.08= 3 माह	5090+1300	4900+1300	190	23/(12%)	639
01.02.09 से 30.04.09 = 3 माह	5290+1300	5090+1300	200	044/(22%)	732
01.02.09 से 30.04.09 = 3 माह	5910+1300	5700+1300	210	137/(65%)	1041

01.05.12 से 30.06.12 =2 माह	6130+1300	5910+1300	220	143/(65%)	726
01.07.12 से 30.09.12= 3 माह	6130+1300	5910+1300	220	158/(72%)	1134
01.10.12 से 31.12.12 =3 माह	6130+1650	5910+1300	220	158/(72%)	1134
01.01.13 से 30.04.13 =4 माह	6130+1650	5910+1300	220	176/(80%)	1584
01.02.14 से 31.03.14 =2 माह	6380+1650	6140+1650	240	192/(80%)	864
				कुल योग	**₹38594**

(2) श्री बाबु राम, कुक

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	मंहगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
01.02.07 से 21.05.07= 4 माह 21 दिन	4900+1300	Nil	6200	372/(6%)	30740
01.02.08 से 30.04.08= 3 माह	5090+1300	4900+1300	190	23/(12%)	639
01.02.09 से 30.04.09 =3 माह	5290+1300	5090+1300	200	044/(22%)	732
01.02.09 से 30.04.09 = 3 माह	5910+1300	5700+1300	210	137/(65%)	1041
01.05.12 से 30.06.12 =2 माह	6130+1300	5910+1300	220	143/(65%)	726
01.07.12 से 30.09.12= 3 माह	6130+1300	5910+1300	220	158/(72%)	1134
01.10.12 से 31.12.12 =3 माह	6130+1650	5910+1300	220	158/(72%)	1134
01.01.13 से 30.04.13 =4 माह	6130+1650	5910+1300	220	176/(80%)	1584
01.02.14 से 31.03.14 =2 माह	6380+1650	6140+1650	240	192/(80%)	864
				कुल योग	**₹38594**

(3) श्री बीरबल, कुक

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	मंहगाई भत्ता	अधिक भुगतान की राशि
01.02.07 से 21.05.07= 4 माह 21 दिन	4900+1300	Nil	6200	372/(6%)	30740
01.02.08 से 30.04.08= 3 माह	5090+1300	4900+1300	190	23/(12%)	639
01.02.09 से 30.04.09 = 3 माह	5290+1300	5090+1300	200	044/(22%)	732
01.02.12 से 30.04.12 = 3 माह	5910+1300	5700+1300	210	137/(65%)	1041

01.05.12 से 30.06.12 =2 माह	6130+1300	5910+1300	220	143/(65%)	726
01.07.12 से 30.09.12= 3 माह	6130+1300	5910+1300	220	158/(72%)	1134
01.10.12 से 31.12.12 =3 माह	6130+1650	5910+1650	220	158/(72%)	1134
01.01.13 से 30.04.13 =4 माह	6130+1650	5910+1650	220	176/(80%)	1584
01.02.14 से 31.03.14 =2 माह	6380+1650	6140+1650	240	192/(80%)	864
				कुल योग	**₹38594**

26 श्री विजय पाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता को परिवार नियोजन भत्ते का गलत दर से भुगतान के कारण ₹9674 का अधिक भुगतान करनाः–

श्री विजय पाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता के सेवा अभिलेख व सम्बन्धित वेतन बिलों के अवलोकन से विदित हुआ कि उसके मामले में परिवार नियोजन का ऑपरेशन दिनाँक 01.09.09 को करवाया था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उन्हें परिवार नियोजन भत्ता दिनाँक 01.12.12 से ही उनके द्वारा उस तिथि को संशोधित वेतनमानों में आहरित किए जा रहे वेतन पर 3**%** की दर से देय एक वेतन वृद्धि के बराबर स्वीकृत किया जबकि प्रचलित नियमानुसार वास्तविकता में उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान ₹5800–9200 के न्यूनतम स्तर पर ₹200/– की दर से देय एक वेतन वृद्धि के बराबर ही परिवार नियोजन भत्ता स्वीकृत किए जाने के साथ–2 इसी निश्चित दर से बिना महंगाई भत्ता आहरित किए भुगतान किया जाना चाहिए था। अभिलेखानुसार उनको दिनाँक 01.12.12 से ₹540 प्रतिमाह की दर से परिवार नियोजन भत्ता स्वीकृत किया गया तथा इस राशि को मूल वेतन में जोड़कर उनका वेतन 14180+4800=18980 से बढ़ाकर 14720+4800=19520 निर्धारित करके उनको महंगाई भत्ता भी बढ़े हुए वेतन पर दिनाँक 30.09.13 तक अदा किया गया जिसके उपरान्त परिवार नियोजन भत्ता केवल ₹540/– प्रतिमाह की दर से दिनाँक 31.03.14 तक अदा किया गया था। अतः उक्त वर्णित अनियमितता के कारण उन्हें निम्न विवरण के अनुसार ₹9674/– के वेतन एवम भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था जिसे अब सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	आहरित वेतन व भत्ते (प्रतिमाह)		देय वेतन व भत्ते (प्रतिमाह)		अन्तर	अधिक भुगतान की राशि
01.12.12 से 31.12.12 =1माह	मूल वेतन	14180	मूल वेतन	14180		
	ग्रेड वेतन	4800	ग्रेड वेतन	4800		

	मंहगाई भत्ता (72%)	14054	मंहगाई भत्ता (72%)	13666		
	परिवार नियोजन भत्ता	540	परिवार नियोजन भत्ता	200		
	कुल वेतन	**33574**	**कुल वेतन**	**32846**	**728**	**728**
01.01.13 से 31.07.13 =7 माह	मूल वेतन	14180	मूल वेतन	14180		
	ग्रेड वेतन	4800	ग्रेड वेतन	4800		
	मंहगाई भत्ता (80%)	15616	मंहगाई भत्ता (80%)	15184		
	परिवार नियोजन भत्ता	540	परिवार नियोजन भत्ता	200		
	कुल वेतन	**35136**	**कुल वेतन**	**34364**	**772**	**5404**
01.08.13 से 30.09.13= 2 माह	मूल वेतन	14750	मूल वेतन	14750		
	ग्रेड वेतन	4800	ग्रेड वेतन	4800		
	मंहगाई भत्ता (80%)	16088	मंहगाई भत्ता (80%)	15640		
	परिवार नियोजन भत्ता	560	परिवार नियोजन भत्ता	200		
	कुल वेतन	**36198**	**कुल वेतन**	**35390**	**808**	**1616**
01.10.13 से 31.10.13= 1 माह	मूल वेतन	14720	मूल वेतन	14750		
	ग्रेड वेतन	4800	ग्रेड वेतन	4800		
	मंहगाई भत्ता (80%)	15616	मंहगाई भत्ता (80%)	15640		
	परिवार नियोजन भत्ता	530	परिवार नियोजन भत्ता	200		
	कुल वेतन	**35666**	**कुल वेतन**	**35390**	**276**	**276**
01.11.13 से 31.03.14= 5 माह	मूल वेतन	14750	मूल वेतन	14750		

	ग्रेड वेतन	4800	ग्रेड वेतन	4800		
	मंहगाई भत्ता (80%)	15640	मंहगाई भत्ता (80%)	15640		
	परिवार नियोजन भत्ता	530	परिवार नियोजन भत्ता	200		
	कुल वेतन	**35720**	**कुल वेतन**	**35390**	330	1650
					कुल योग	**₹9674**

27 **01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण में त्रुटियों के कारण ₹106592/– के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना:–**

मन्दिर न्यास के नियमित कर्मचारियों का 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत पुनः वेतन निर्धारण कार्यालय आदेश संख्या AM/AC/Salaries & Wages/2011-12 दिनाँक 22.02.12 द्वारा किया गया था जिनका सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवम उपलब्ध करवाए गए सेवा अभिलेख के साथ चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कुछ प्रकरणों में वेतन निर्धारण में की गई विभिन्न त्रुटियों के कारण उनको ₹106592/– के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान किया गया था। अतः नियमानुसार अब सही वेतन नियतन करके तथा देय दर से वेतन आहरित करने के साथ–2 अधिक भुगतान की राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

(1) सर्व श्री वेद प्रकाश शर्मा, गीता राम व सुरेश कुमार, पुजारियों को कार्यालय आदेश संख्या 161 दिनाँक 27.03.06 द्वारा (5000–8100) का शास्त्री वेतनमान दिनाँक 01.03.06 से स्वीकृत किया गया था जिसमें उनका वेतन ₹5000/– के न्यूनतम स्तर पर निर्धारित किया गया था। इस वेतनमान का 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमान (10300–34800+3200 ग्रेड पे) के अन्तर्गत भी तीनों पुजारियों का वेतन न्यूनतम स्तर 10300+3200 ग्रेड पे=13500 पर कार्यालय आदेश संख्या AM/AC/Salaries & Wages/2011-12 दिनाँक 22.02.12 द्वारा निर्धारित किया गया जो कि सही था किन्तु अगली देय वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि नियमानुसार 12 माह बाद दिनाँक 01.03.07 को निश्चित करने की अपेक्षा त्रुटिवश क्रमशः दिनाँक 01.01.07 से करके तीनों पुजारियों को वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया गया जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार उन्हें 31.03.14 तक वेतन व भत्तो का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

(क) श्री वेद प्रकाश शर्मा, पुजारी

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता/दर	अधिक भुगतान की राशि
01.01.07 से 28.02.07 =2 माह	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	25 (6%)	870
01.01.08 से 29.02.08= 2 माह	11130+3200=14330	10710+3200=13910	420	50 (12%)	940
01.01.09 से 28.02.09= 2 माह	11560+3200=14760	11560+3200=14760		–	–
01.01.10 से 28.02. 10=2 माह	12940+3200=16140	12010+3200=15210	930	326 (35%)	2512
01.03.10 से 30.06.10= 4 माह	12940+3200=16140	12470+3200=15670	470	165 (35%)	2540
01.07.10 से 31.12.10 =6 माह	12940+3200=16140	12470+3200=15670	470	212 (45%)	4092
01.01.11 से 28.02.11 =2 माह	13430+3200=16630	12470+3200=15670	960	490 (51%)	2900
01.03.11 से 30.06.11 =4 माह	13430+3200=16630	12940+3200=16140	490	250 (51%)	2960
01.07.11 से 31.12. 11=6 माह	13430+3200=16630	12940+3200=16140	490	284 (58%)	4644
01.01.12 से 31.01. 12=1 माह	13930+3200=17130	12940+3200=16140	990	644 (65%)	1634
01.02.12 से 28.02. 12=1 माह	13430+3200=16630	12940+3200=16140	490	319 (65%)	809
01.01.13 से 28.02.13 =2 माह	13930+3200=17130	13430+3200=16630	500	400 (80%)	1800
01.01.14 से 28.02.14 =2 माह	14450+3200=17650	13930+3200=17130	520	416 (80%)	1872
				कुल योग	**₹27573**
(ख) श्री गीता राम, पुजारी					
01.01.07 से 28.02.07 =2 माह	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	25 (6%)	870

01.01.08 से 29.02.08= 2 माह	11130+3200=14330	10710+3200=13910	420	50 (12%)	940
01.01.09 से 28.02.09= 2 माह	11560+3200=14760	11130+3200=14330	430	95 (22%)	1050
01.01.10 से 28.02. 10=2 माह	12010+3200=15210	11560+3200=14760	450	158 (35%)	1216
01.09.10 से 23.09.10= 23 दिन	12469+3200=15669	12010+3200=15210	459	207 (45%)	511
01.01.11 से 28.02.11 =2 माह	12939+3200=16139	12470+3200=15670	469	239 (51%)	1416
01.11.11 से 31.12.11 =2 माह	13430+3200=16630	12940+3200=16140	490	284 (58%)	1548
01.01.12 से 31.01. 12=1 माह	13930+3200=17130	12940+3200=16140	990	644 (65%)	1634
01.02.12 से 28.02. 12=1 माह	13430+3200=16630	12940+3200=16140	490	319 (65%)	809
01.01.13 से 28.02.13 =2 माह	13930+3200=17130	13430+3200=16630	500	400 (80%)	1800
01.01.14 से 28.02.14 =2 माह	14450+3200=17650	13930+3200=17130	520	416 (80%)	1872
				कुल योग	**₹13666**
(ग) श्री सुरेश कुमार, पुजारी					
01.06.06 से 30.06.06 =1 माह	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410		410
01.07.06 से 31.12. 06=6 माह	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	8 (2%)	2508
01.01.07 से 28.02. 07=2 माह	10710+3200=13910	10300+3200=13500	410	25 (6%)	870
01.06.07 से 30.06. 07=1 माह	11130+3200=14330	10710+3200=13910	420	25 (6%)	445
01.07.07 से 31.12. 07=6 माह	11130+3200=14330	10710+3200=13910	420	38 (9%)	2748
01.01.08 से 29.02. 08=2 माह	11130+3200=14330	10710+3200=13910	420	50 (12%)	940

01.06.08 से 30.06. 08=1 माह	11560+3200=14760	11130+3200=14330	430	52 (12%)	482
01.07.08 से 31.12. 08=6 माह	11560+3200=14760	11130+3200=14330	430	69 (16%)	2994
01.01.09 से 28.02. 09=2 माह	11560+3200=14760	11130+3200=14330	430	95 (22%)	1050
01.06.09 से 30.06. 09=1 माह	12010+3200=15210	11560+3200=14760	450	99 (22%)	549
01.07.09 से 31.08. 09=2 माह	12010+3200=15210	11560+3200=14760	450	127 (27%)	1144
01.09.10 से 22.09. 10=22 दिन	12458+3200=15658	12010+3200=15210	448	202 (45%)	477
				कुल योग	**₹14617**

(2) सर्व श्री रमनदीप, आशीष सैनी व काला सिंह को दिनाँक 01.01.06 से मन्दिर न्यास में माली के पद पर कार्यरत्त थे तथा इस पद की अपरिशोधित वेतनमान 2520–4140 (आरम्भिक वेतन 2620) था तथा तीनों कर्मचारी दिनाँक 01.01.06 को ₹3120 के स्तर पर वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.06.06 के साथ वेतन आहरण कर रहे थे। इस पद की 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमान 4900–10680 में ₹1300 की ग्रेड पे स्वीकृत की गई थी किन्तु त्रुटिवश संशोधित वेतनमान 4900–10680 में ₹1300/– की ग्रेड पे की अपेक्षा ₹1400 की ग्रेड पे पर उनका वेतन कार्यालय आदेश संख्या AM/AC Salaries & Wages/2011-12 दिनाँक 22.02.12 द्वारा 01.01.06 से निर्धारित करके उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त श्री रमनदीप व आशीष सैनी, माली को दिनाँक 01.10.12 से लागू संशोधित ग्रेड पे भी ₹1650/– की अपेक्षा ₹1800/– कार्यालय आदेश संख्या TTT/Estt./2012-504 दिनाँक 17.09.12 के अन्तर्गत स्वीकृत करके उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान किया गया। उक्त वर्णित त्रुटियों के कारण इन कर्मचारियों को निम्न विवरण अनुसार 31.03.14 तक वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

(क) श्री रमनदीप

अवधि	**आहरित वेतन (प्रतिमाह)**	**देय वेतन (प्रतिमाह)**	**अन्तर**	**महंगाई भत्ता/दर**	**अधिक भुगतान की राशि**
01.01.06 से 31. 05.06=5 माह	5810+1400=7210	5810+1300=7110	100		500

01.06.06 से 30.06.06=1 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100		100
01.07.06 से 31.12.06=6 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	2 (2%)	612
01.01.07 से 31.05.07=5 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	6 (6%)	530
01.06.07 से 30.06.07=1 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	7 (6%)	117
01.07.07 से 31.12.07=6 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	10 (9%)	720
01.01.08 से 31.05.08=5 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	13 (12%)	615
01.06.08 से 30.06.08=1 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	13 (12%)	123
01.07.08 से 31.12.08=6 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	18 (16%)	768
01.01.09 से 31.05.09=5 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	24 (22%)	670
01.06.09 से 30.06.09=1 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	24 (22%)	134
01.07.09 से 31.08.09=3 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	30 (27%)	420
01.06.12 से 30.06.12=1 माह	7500+1400=8900	7470+1300=8770	130	85 (65%)	215
01.07.12 से 30.09.12=3 माह	7500+1400=8900	7470+1300=8770	130	94 (72%)	672
01.10.12 से 31.12.12=3 माह	7500+1800=9300	7470+1650=9120	180	130 (80%)	930
01.01.13 से 31.05.13=5 माह	7500+1800=9300	7470+1650=9120	180	144 (80%)	1620

01.06.13 से 30. 06.13=1 माह	7770+1800=9570	7750+1650=9400	170	136 (80%)	306
01.07.13 से 31. 07.13=1 माह	7770+1800=9570	7750+1650=9400	170	136 (80%)	306
01.11.13 से 30. 12.13=2 माह	7730+1800=9530	7750+1650=9400	130	104 (80%)	468
01.01.14 से 31. 03.14=3 माह	7780+1800=9580	7750+1650=9400	130	104 (80%)	702
		.		**योग**	**₹10528**
(ख) श्री आशीष सैनी					
01.01.06 से 31. 05.06=5 माह	5810+1400=7210	5810+1300=7110	100		500
01.06.06 से 30. 06.06=1 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100		100
01.07.06 से 31. 12.06=6 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	2 (2%)	612
01.01.07 से 31. 05.07=5 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	6 (6%)	530
01.06.07 से 30. 06.07=1 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	7 (6%)	117
01.07.07 से 31. 12.07=6 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	10 (9%)	720
01.01.08 से 31. 05.08=5 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	13 (12%)	615
01.06.08 से 30. 06.08=1 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	13 (12%)	123
01.07.08 से 31. 12.08=6 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	18 (16%)	768
01.01.09 से 31.	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	24 (22%)	670

05.09=5 माह					
01.06.09 से 30. 06.09=1 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	24 (22%)	134
01.07.09 से 31. 08.09=3 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	30 (27%)	420
01.06.12 से 30. 06.12=1 माह	7500+1400=8900	7470+1300=8770	130	85 (65%)	215
01.07.12 से 30. 09.12=3 माह	7500+1400=8900	7470+1300=8770	130	94 (72%)	672
01.10.12 से 31. 12.12=3 माह	7500+1800=9300	7470+1650=9120	180	130 (80%)	930
01.01.13 से 31. 05.13=5 माह	7500+1800=9300	7470+1650=9120	180	144 (80%)	1620
01.06.13 से 30. 06.13=1 माह	7770+1800=9570	7750+1650=9400	170	136 (80%)	306
01.07.13 से 31. 07.13=1 माह	7770+1800=9570	7750+1650=9400	170	136 (80%)	306
01.11.13 से 30. 12.13=2 माह	7730+1800=9530	7750+1650=9400	130	104 (80%)	468
01.01.14 से 31. 03.14=3 माह	7780+1800=9580	7750+1650=9400	130	104 (80%)	702
				योग	**₹10528**
(ग) श्री काला सिंह					
01.01.06 से 31. 05.06=5 माह	5810+1400=7210	5810+1300=7110	100		500
01.06.06 से 30. 06.06=1 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100		100
01.07.06 से 31. 12.06=6 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	2 (2%)	612

01.01.07 से 31.05.07=5 माह	6030+1400=7430	6030+1300=7330	100	6 (6%)	530
01.06.07 से 30.06.07=1 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	7 (6%)	117
01.07.07 से 31.12.07=6 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	10 (9%)	720
01.01.08 से 31.05.08=5 माह	6260+1400=7660	6250+1300=7550	110	13 (12%)	615
01.06.08 से 30.06.08=1 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	13 (12%)	123
01.07.08 से 31.12.08=6 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	18 (16%)	768
01.01.09 से 31.05.09=5 माह	6490+1400=7890	6480+1300=7780	110	24 (22%)	670
01.06.09 से 30.06.09=1 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	24 (22%)	134
01.07.09 से 31.08.09=3 माह	6730+1400=8130	6720+1300=8020	110	30 (27%)	420
				योग	**₹5309**

(3) श्री चमन लाल, मेसन व श्री दर्शन, इलैक्ट्रिशियन एवम् पलम्बर क्रमशः दिनाँक 01.05.07 व 01.02.07 से मन्दिर न्यास में अपरिशोधित वेतनमान 3120–5160 (आरम्भिक वेतन 3220) में नियुक्ति किये गये थे जिनको 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमान 5910–20200+₹1900 ग्रेड पे वेतन स्वीकृत किया गया था। इस संशोधित वेतनमान में दोनों कर्मचारियों का वेतन नियमानुसार वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR)B(7)-1/2009 दिनाँक 06.11.09 के पैरा 3 के अन्तर्गत जारी स्पष्टीकरण के अनुसार न्यूनतम स्तर ₹5910+1900 ग्रेड पे=7810 पर निर्धारित किया जाना चाहिए था किन्तु त्रुटिवश कार्यालय आदेश संख्या AM/AC/Salaries & Wages/2011-12 दिनाँक 22.02.12 के अन्तर्गत उनका वेतन नियुक्ति तिथि से 5990+1900 ग्रेड पे=7890 पर निर्धारित करने के साथ–2 अगली वार्षिक वेतन वृद्धियाँ भी इसी गलत वेतन के आधार पर नियमित करते हुए उनके वेतन

निर्धारण का लाभ प्रदान किया गया जिसके कारण इन कर्मचारियों का निम्न विवरण अनुसार 31.03.14 तक वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था।

(क) श्री चमन लाल, मेसन

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता/दर	अधिक भुगतान की राशि
01.05.07 से 30.06.07=2 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	5(6%)	170
01.07.07 से 31.12.07=6 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	7(9%)	522
01.01.08 से 30.04.08=4 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	10(12%)	360
01.05.08 से 30.06.08=2 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	10(12%)	180
01.07.08 से 31.12.08=6 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	13(16%)	558
01.01.09 से 30.04.09=4 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	18(22%)	392
01.05.09 से 30.06.09=2 माह	6480+1900=8380	6400+1900=8300	80	18(22%)	196
01.07.09 से 31.08.09=3 माह	6480+1900=8380	6400+1900=8300	80	22(27%)	306
01.01.10 से 30.04.10=4 माह	6600+1900=8500	6400+1900=8300	200	70(35%)	1080
01.06.10 से 30.06.10=1 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	72(35%)	277
01.07.10 से 31.12.10=6 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	92(45%)	1782
01.01.11 से 30.04.11=4 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	105(51%)	1240
01.06.11 से 30.06.11=1 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	112(51%)	332
01.07.11 से 31.12.11=6 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	128(58%)	2088
01.01.12 से 31.01.12=1 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	143(65%)	363
01.02.12 से 30.04.12=3 माह	7000+1900=8900	6910+1900=8810	90	59(65%)	447
01.05.12 से 30.06.12=2 माह	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	59(65%)	298
01.07.12 से 31.12.12=6 माह	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	65(72%)	930
01.01.13 से 30.04.13=4 माह	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	72(80%)	648
01.05.13 से 30.06.13=2 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	324
01.07.13 से 31.07.13=1 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	162
01.11.13 से 31.12.13=2 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	324
01.01.14 से 31.03.14=3 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	486
				योग	**₹13465**

(ख) श्री दर्शन सिंह, इलैक्ट्रिशियन एवम पलम्बर					
01.02.07 से 30.06.07=5 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	5(6%)	425
01.07.07 से 31.12.07=6 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	7(9%)	522
01.01.08 से 31.01.08=1 माह	5990+1900=7890	5910+1900=7810	80	10(12%)	90
01.02.08 से 30.06.08=5 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	10(12%)	450
01.07.08 से 31.12.08=6 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	13(16%)	558
01.01.09 से 31.01.09=1 माह	6230+1900=8130	6150+1900=8050	80	18(22%)	98
01.02.09 से 30.06.09=5 माह	6480+1900=8380	6400+1900=8300	80	18(22%)	490
01.07.09 से 31.08.09=2 माह	6480+1900=8380	6400+1900=8300	80	22(27%)	204
01.01.10 से 31.01.10=1 माह	6600+1900=8500	6400+1900=8300	200	70(35%)	270
01.06.10 से 30.06.10=1 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	72(35%)	277
01.07.10 से 31.12.10=6 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	92(45%)	1782
01.01.11 से 31.01.11=1 माह	6855+1900=8755	6650+1900=8550	205	105(51%)	310
01.06.11 से 30.06.11=1 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	112(51%)	332
01.07.11 से 31.12.11=6 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	128(58%)	2088
01.01.12 से 31.01.12=1 माह	7130+1900=9030	6910+1900=8810	220	143(65%)	363
01.02.12 से 30.06.12=5 माह	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	59(65%)	745
01.07.12 से 30.09.12=3 माह	7270+1900=9170	7180+1900=9080	90	65(72%)	465
01.10.12 से 31.12.12=3 माह	7270+1900=9170	7160+1900=9080	90	65(72%)	465
01.01.13 से 31.01.13=1 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	162
01.11.13 से 31.12.13=2 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	324
01.01.14 से 31.01.14=1 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	162
01.02.14 से 31.03.14=2 माह	7550+1900=9450	7460+1900=9360	90	72(80%)	324
				योग	₹10906

28 मकान किराया भत्ते का गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹14325/– का अधिक भुगतान करनाः–

वेतन एवं भत्तों के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को देय दर की अपेक्षा अधिक दर से मकान किराया भत्ते का भुगतान

किया जा रहा था जिसके कारण निम्नानुसार ₹14325 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की राशि को अब सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूल करके मन्दिर न्यास में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सही दर से ही किराया भत्ते को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमाँक	**कर्मचारी का नाम, पद व कोड संख्या**	**वेतन/मूलवेतन+ ग्रेड पे (प्रति माह)**	**अदा किये गये मकान किराए भत्ता की दर (प्रति माह)**	**मकान किराया भत्ता की देय दर**	**अन्तर (प्रति माह)**	**अवधि**	**अधिक भुगतान की कुल राशि**
1	श्री शाहीन बैग, सहायक अभियन्ता	8925/9200	450	275	175	8/10 से 5/11 तक=10 माह	1750
2	श्री विजयपाल, कनिष्ठ अभियन्ता	6800	300	225	75	8/10 से 5/11 तक=10 माह	750
3	श्री हरीश शर्मा, सहायक प्रबन्धक (लेखा)	7880/8100	400	250	150	8/10 से 5/11 तक=10 माह	1500
4	श्रीवेद प्रकाश, पुजारी	5800/6000	300	200	100	8/10 से 5/11 तक=10 माह	1000
5	श्री दिलशादकुरैशी, सरवेयर	4700	200	175	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
6	श्री राकेश शर्मा, कनिष्ठ सहायक	4400	200	150	50	8/10 से 5/11 तक=10 माह	500
7	श्री भारत सिंह, परिचालक	4140/4260	200	150	50	8/10 से 5/11 तक=10 माह	500
8	श्री नरेश कुमार, इलेक्ट्रीशियन	3780	200	150	50	8/10 से 5/11 तक=10 माह	500
9	श्री दुर्गा सिंह, चौकीदार	3440	150	125	25	8/10 से	250

						5/11 तक =10 माह	
10	श्री कैलाश चन्द, चौकीदार	7120	350	300	50	6/12 से 3/14 तक=22 माह	1100
11	श्री प्रेम सिंह, चौकीदार	2920/3000	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
12	श्री अशोक कुमार, चौकीदार	2620	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
13	श्रीमती मायादेवी, काहर	3440	150	125	25	8/10 से 2/11 तक=7 माह	175
14	श्री अमरनाथ, कुक	2620	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
15	श्रीमती शीलादेवी, सेवादार	7120	350	300	50	6/12 से 3/14 तक =22 माह	1100
16	श्रीमती कमलेश, सेवादार	7120	350	300	50	06/12 से 3/14 तक=22 माह	1100
17	श्रीमती कौशल्या देवी, सेवादार	2920/3000	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
18	श्री विरेन्द्र सिंह, सेवादार	2620	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
19	श्री मोहित, सेवादार	2620	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
20	श्री मस्तराम, सेवादार	3440	150	125	25	8/10 से 5/11	250

						तक=10 माह	
21	श्री सतीश कुमार, बेलदार	2920/3000	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
22	श्री बीरूराम बेलदार	2920/3000	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
23	श्री नरेश कुमार, बेलदार	2820	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
24	श्री धनवीर सिंह, बेलदार	2920/3000	150	125	25	8/10 से 5/11 तक=10 माह	250
25	श्री धर्मवीर, सफाई कर्मचारी	7120	350	300	50	6/12 से 3/14 तक=22 माह	1100
						योग	**₹14325**

29 न्यास के कर्मचारियों को गलत दर से मासिक वेतन का भुगतान करने के कारण ₹62094/– के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करनाः–

चयनित माह के वेतन बिलों का सम्बन्धित कर्मचारियों के सेवा अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार गलत दर से मासिक वेतन आहरण करने के कारण मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को ₹62094/– के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसे अब सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(1) श्रीमती सुषमा शर्मा, वरिष्ठ सहायक

अवधि	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	देय वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता दर/राशि	अधिक भुगतान की राशि
01.08.11 से 31.12.11=5 माह	11230+3800=15030	11030+3800=14830	200	116 (58%)	1580

01.01.12 से 31. 01.12=1 माह	11230+3800=15030	11030+3800=14830	200	130 (65%)	330
01.02.12 से 29. 02.12=1 माह	11240+3800=15040	11030+3800=14830	210	137 (65%)	347
				योग	₹2257
(2) श्री अशोक कुमार, चौकीदार					
01.06.11 से 30. 06.11=1 माह	5090+1300=6390	4900+1300=6200	190	97 (51%)	287
01.08.11 से 31. 12.11=5 माह	5290+1300=6590	5090+1300=6390	200	116 (58%)	1580
01.01.12 से 30. 06.12=6 माह	5290+1300=6590	5090+1300=6390	200	130 (65%)	1980
01.08.12 से 31. 12.12=5 माह	5490+1300=6790	5290+1300=6590	200	144 (72%)	1720
01.01.13 से 31. 03.13=3 माह	5490+1300=6790	5290+1300=6590	200	160 (80%)	1080
				योग	₹6647
(3) श्री दुर्गा सिंह, चौकीदार					
01.04.10 से 31. 05.10=2 माह	6480+1300=7780	6310+1300=7610	170	60 (35%)	460
01.06.10 से 30. 06.10=1 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	61 (35%)	234
01.07.10 से 31. 12.10=6 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	78 (45%)	1506
01.01.11 से 31. 05.11=5 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	88 (51%)	1305
01.06.11 से 30. 06.11=1 माह	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	92 (51%)	272
01.07.11 से 31.	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	104 (58%)	1704

12.11=6 माह					
01.01.12 से 31. 01.12=1 माह	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	117 (65%)	297
01.02.12 से 31. 05.12=4 माह	6800+1300=8100	6780+1300=8080	20	13 (65%)	132
				योग	₹5910
(4) श्री मस्त राम, सेवादार					
01.04.10 से 31. 05.10=2 माह	6480+1300=7780	6310+1300=7610	170	60 (35%)	460
01.06.10 से 30. 06.10=1 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	61 (35%)	234
01.07.10 से 31. 12.10=6 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	78 (45%)	1506
01.01.11 से 31. 05.11=5 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	88 (51%)	1305
01.06.11 से 30. 06.11=1 माह	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	92 (51%)	272
01.07.11 से 31. 12.11=6 माह	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	104 (58%)	1704
01.01.12 से 31. 01.12=1 माह	6960+1300=8260	6780+1300=8080	180	117 (65%)	297
01.02.12 से 31. 05.12=4 माह	6800+1300=8100	6780+1300=8080	20	13 (65%)	132
				योग	₹5910
(5) श्री विजय नेगी, चालक, अब लिपिक					
01.02.12 से 30.06.12=5 माह	9110+2000=11110	9090+2000=11090	20	13 (65%)	165

01.07.12 से 31.12.12=6 माह	9110+2000=11110	9090+2000=11090	20	14 (72%)	204
				योग	**₹369**
(6) श्री भारत सिंह, परिचालक, अब लिपिक					
01.01.12 से 31.01.12=1 माह	8400+1900=10300	8290+1900=10190	110	72 (65%)	182
01.02.12 से 31.05.12=4 माह	8340+1900=10240	8290+1900=10190	50	33 (65%)	332
				योग	**₹514**
(7) श्री दिलशाद कुरैशी, सरवेयर					
01.02.12 से 30.06.12=5 माह	9490+2400=11890	9430+2400=11830	60	39 (65%)	495
01.07.12 से 31.07.12=1 माह	9490+2400=11890	9430+2400=11830	60	43 (72%)	103
01.08.12 से 31.12.12=5 माह	9850+2400=12250	9790+2400=12190	60	43 (72%)	515
01.01.13 से 30.06.13=6 माह	9850+2400=12250	9790+2400=12190	60	48 (80%)	648
01.07.13 से 31.07.13=1 माह	9850+2400=12250	9790+2400=12190	60	48 (80%)	108
01.08.13 से 31.12.13=5 माह	10220+2400=12620	10160+2400=12560	60	48 (80%)	540
				योग	**₹2409**

(8) श्री हरीश कुमार, सहायक प्रबन्धक (लेखा)					
01.06.10 से 30.06.10=1 माह	15798+4400=20198	15230+4400=19630	568	199 (35%)	767
01.07.10 से 31.12.10=6 मह	15798+4400=20198	15230+4400=19630	568	256 (45%)	4944
01.01.11 से 28.02.11=2 माह	15798+4400=20198	15230+4400=19630	568	290 (51%)	1716
01.03.11 से 30.06.11=4 माह	16410+4400=20220	15820+4400=20220	590	301 (51%)	3564
01.07.11 से 31.07.11=1 माह	16410+4400=20810	15820+4400=20220	590	342 (51%)	932
				योग	**₹11923**
(9) श्रीमती माया देवी, काहर					
01.04.10 से 31. 05.10=2 माह	6480+1300=7780	6310+1300=7610	170	60 (35%)	460
01.06.10 से 30. 06.10=1 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	61 (35%)	234
01.07.10 से 31. 12.10=6 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	78 (45%)	1506
01.01.11 से 28. 02.11=2 माह	6713+1300=8013	6540+1300=7840	173	88 (51%)	522
				योग	**₹2722**
(10) श्रीमती सविता रानी, कनिष्ठ सहायक					
01.06.10 से 30. 06.10=1 माह	9787+2800=12587	9420+2800=12220	367	128 (35%)	495

01.07.10 से 30. 09.10=3 माह	9787+2800=12587	9420+2800=12220	367	165 (45%)	1596
				योग	₹2091
(11) श्री गोपाल दत्त, सहायक प्रबन्धक (मन्दिर)					
01.04.10 से 31. 05.10=2 माह	13610+4200=17810	13090+4200=17290	520	182 (35%)	1404
01.06.10 से 30. 06.10=1 माह	14144+4200=18344	13610+4200=17810	534	187 (35%)	721
01.07.10 से 31. 12.10=6 माह	14144+4200=18344	13610+4200=17810	534	240 (45%)	4644
01.01.11 से 31. 05.11=5 माह	14144+4200=18344	13610+4200=17810	534	272 (51%)	4030
01.06.11 से 30. 06.11=1 माह	14700+4200=18900	14150+4200=18350	550	281 (51%)	831
01.07.11 से 31. 12.11=6 माह	14700+4200=18900	14150+4200=18350	550	319 (58%)	5214
01.01.12 से 31. 01.12=1 माह	14700+4200=18900	14150+4200=18350	550	358 (65%)	908
				योग	₹17752
(12) श्री नरेश कुमार, इलेक्ट्रिशियन					
01.01.10 से 30. 06.10=6 माह	7130+1900=9030	7000+1900=8900	130	46 (35%)	1056
01.07.10 से 31. 07.10=1 माह	7130+1900=9030	7000+1900=8900	130	59 (45%)	189
01.08.10 से 31. 12.10=5 माह	7401+1900=9301	7270+1900=9170	131	59 (45%)	950
01.01.11 से 30. 06.11=6 माह	7401+1900=9301	7270+1900=9170	131	67 (51%)	1188
01.07.11 से 31. 07.11=1 माह	7401+1900=9301	7270+1900=9170	131	76 (58%)	207
				योग	₹3590

30 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को बोनस/विशेष वेतन की ₹12459/– का अधिक भुगतान करनाः–

मन्दिर न्यास वित्तीय नियमावली, 2008 के प्रावधानानुसार, न्यास के 38 नियमित कर्मचारियों को चैत्र व अश्विन मेला, 2012 में डयूटी के लिए एक माह का मूल वेतन+65% महंगाई भत्ते के बराबर बोनस/विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था किन्तु चयनित माह के व्यय/भुगतान वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर विदित हुआ कि वाऊचर संख्या 468 दिनाँक 31.10.12 के अन्तर्गत निम्न वर्णित 20 कर्मचारियों को इसका भुगतान मूल वेतन+72% महंगाई भत्ते की उच्च दर से किया गया था जोकि अनियमित है। अतः निम्न विवरण के अनुसार इस प्रकरण में ₹12459 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अब सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	कर्मचारी का नाम व पद	आहरित मूल वेतन+72% महंगाई भत्ते	देय मूल वेतन+65% महंगाई भत्ते	अधिक भुगतान की राशि
1	श्री कैलाश चन्द, चौकीदार	8510+6127=14637	8510+5532=14042	595
2	श्री धर्मवीर, सफाई कर्मचारी	8510+6127=14637	8510+5532=14042	595
3	श्रीमती जगीरो देवी, सेवादार	8510+6127=14637	8510+5532=14042	595
4	श्रीमती कमलेश, सेवादार	8510+6127=14637	8510+5532=14042	595
5	श्री प्रेम सिंह, सफाई कर्मचारी	8510+6127=14637	8510+5532=14042	595
6	श्री दर्शन, इलेक्ट्रिशियन	9170+6602=15772	9080+5902=14982	790
7	श्री चमन लाल, मेसन	9170+6602=15772	9080+5902=14982	790
8	श्री नरेश कुमार, बेलदार	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504

9	श्री सतीश कुमार बेलदार	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
10	श्री बीरूराम बेलदार	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
11	श्रीमती सन्तोष देवी, सफाई कर्मचारी	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
12	श्रीमती कौशल्या देवी, सफाई कर्मचारी	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
13	श्री धनवीर सिंह, बेलदार	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
14	श्री बाबु राम, कुक	7430+5350=12780	7210+4687=11897	883
15	श्री बीरबल, कुक	7430+5350=12780	7210+4687=11897	883
16	श्री रमेश चाँद, कुक	7430+5350=12780	7210+4687=11897	883
17	श्री प्रेम सिंह, चौकीदार	7210+5191=12401	7210+4687=11897	504
18	श्री गौरव, सेवादार	6590+4745=11335	6590+4284=10874	461
19	श्री अमर नाथ, कुक	6590+4745=11335	6590+4284=10874	461
20	श्री अशोक कुमार, चौकीदार	6790+4889=11679	6590+4284=10874	805
			योग	**₹12459**

31 दैनिक भोगी कर्मचारियों को गलत दर से मजदूरी प्रदान करने के कारण ₹717636/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतान करनाः–

वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या Fin(PR)B(7)-15/98-III दिनाँक 30.09.09 द्वारा सुरक्षा गार्ड की न्यूनतम मजदूरी की दर ₹132/– दिनाँक 01.03.09 से निर्धारित की गई थी किन्तु आयुक्त मन्दिर ने कार्यालय आदेश संख्याः TTT/Estt./2009-120 दिनाँक 02.09.09 द्वारा सुरक्षा गार्डो को, हिमाचल प्रदेश सरकार गृह विभाग द्वारा गृह रक्षकों को स्वीकृत मानदेय की दर के समतुल्य मजदूरी ₹170/– की दर से दिनाँक 01.09.09 से मजदूरी स्वीकृत की जोकि वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी उक्त आदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इसी प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा मस्ट्रोल पर रखे गए दैनिक भोगी मैसनों को मैसन ग्रेड 1 (वन विभाग) हेतु वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित न्यूनतम

मजदूरी की उपेक्षा उच्च दर पर मजदूरी का भुगतान किया गया था। इस अनियमितता के कारण वर्णित दैनिक भोगी कर्मचारियों को अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरण अनुसार ₹717636/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

क्रमाँक	दैनिक भोगी कर्मचारी का नाम व पद	अवधि=मजदूरी आहरण के कुल वास्तविक कार्य दिवस	न्यूनतम मजदूरी की आहरित दर (प्रतिदिन)	न्यूनतम मजदूरी की देय दर (प्रतिदिन)	अन्तर (प्रतिदिन)	अधिक भुगतान की राशि
1	श्री यादव राम सुपुत्र श्री सहज राम, सुरक्षा गार्ड	01.04.10 से 30.09.10=183 दिन	170	132	38	6954
		01.10.10 से 30.09.11=273.5 दिन	170	144	26	7111
		01.10.11 से 31.03.12=178 दिन	200	144	56	9968
		01.04.12 से 31.08.12=153 दिन	200	156	44	6732
		01.09.12 से 30.09.12=30 दिन	200	180	20	600
		01.10.12 से 31.03.13=145 दिन	225	180	45	6525
						37890
2	श्री देव राज सुपुत्र श्री उदय सिंह, सुरक्षा गार्ड	01.04.10 से 30.09.10=183 दिन	170	132	38	6954
		01.10.10 से 30.09.11=273.5 दिन	170	144	26	7111
		01.10.11 से 31.03.12=178 दिन	200	144	56	9968
		01.04.12 से 31.08.12=153 दिन	200	156	44	6732
		01.09.12 से 30.	200	180	20	600

		09.12=30 दिन				
		01.10.12 से 31. 03.13=151 दिन	225	180	45	6525
						37890
3	श्री मोहन सिंह सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह, सुरक्षा गार्ड	01.04.10 से 30. 03.10=183 दिन	170	132	38	6954
		01.10.10 से 30. 09.11=335 दिन	170	144	26	8710
		01.10.11 से 31. 12.11=84 दिन	200	144	56	4704
						20368
4	श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शेर सिंह, सुरक्षा गार्ड	01.04.10 से 30. 09.10=183 दिन	170	132	38	6954
		01.10.10 से 30. 09.11=335 दिन	170	144	26	8710
		01.10.11 से 31. 03.12=183 दिन	200	144	56	10248
		01.04.12 से 31. 08.12=153 दिन	200	156	44	6732
		01.09.12 से 30. 09.12=30 दिन	200	180	20	600
		01.10.12 से 31. 03.13=182 दिन	225	180	45	8190
						41434
5	श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री प्रेम चन्द, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10= 175. 49 दिन	199	140	59	10354
		01.10.10 से 30. 04.12= 517. 74 दिन	217	153	64	331135
		01.05.12 से 31. 08.12=83 दिन	235	166	69	5727
		01.09.12 से 31. 03.13=209 दिन	271	192	79	16511

						65727
6	श्री संजीव कुमार, सुपुत्र श्री रमेश चन्द, मैसन	01.04.10 से 30.09.10= 169.74 दिन	199	140	59	10015
		01.10.10 से 30.04.12= 491.62 दिन	217	153	64	31464
		01.05.12 से 31.08.12=76 दिन	235	166	69	5244
		01.09.12 से 31.03.13=209 दिन	271	192	79	16511
						63234
7	श्री रामदीन सुपुत्र श्री डोमन, मैसन	01.04.10 से 30.09.10=65.24 दिन	199	140	59	3849
		01.10.10 से 30.04.12=145.24 दिन	217	153	64	9295
						13144
8	श्री राम चरण सुपुत्र श्री मूल चन्द, मैसन	01.10.10 से 30.04.12=90.36 दिन	199	140	59	5331
		01.10.10 से 30.04.12=134.24 दिन	217	153	64	8591
						13922
9	श्री पाला राम सुपुत्र श्री रोनकी राम, मैसन	01.04.10 से 30.09.10=139.37 दिन	199	140	59	8223
		01.10.10 से 30.04.12=72.50 दिन	217	153	64	4640
						12863
10	श्री नारायण सुपुत्र श्री जिया राम, मैसन	01.04.10 से 30.09.10=77.37 दिन	199	140	59	4565
		01.10.10 से 30.04.12=20.25 दिन	217	153	64	1296
						5861

11	श्री शबीर सुपुत्र श्री शमसुदीन, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=136.75 दिन	199	140	59	8068
		01.10.10 से 30. 04.12=135.75 दिन	217	153	64	8688
						16756
12	श्री नरेश कुमार, सुपुत्र श्री राम सिंह, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=470.12 दिन	217	153	64	30088
		01.05.12 से 31. 08.12=92 दिन	235	166	69	6348
		01.09.12 से 31. 03.13=212 दिन	271	192	79	16748
						53184
13	श्री सुरेश चन्द, सुपुत्र श्री हिमत सिंह, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=471.12 दिन	217	153	64	30152
		01.05.12 से 31. 08.12=92 दिन	235	166	69	6348
		01.09.12 से 31. 03.13=212 दिन	271	192	79	16748
						53248
14	श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=469.12 दिन	217	153	64	30024
		01.05.12 से 31. 08.12=92 दिन	235	166	69	6348
		01.09.12 से 31. 03.13=212 दिन	271	192	79	16748
						53120
15	श्री दुनी चन्द सुपुत्री श्री प्रकाश चन्द, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=471.12 दिन	217	153	64	30152
		01.05.12 से 31.	235	166	69	6348

		08.12=92 दिन				
		01.09.12 से 31. 03.13=212 दिन	271	192	79	16748
						53248
16	श्री जयपाल सुपुत्र श्री मुख्तार सिंह, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=438.62 दिन	217	153	64	28072
		01.05.12 से 31. 08.12=92 दिन	235	166	69	6348
		01.09.12 से 31. 03.13=201 दिन	271	192	79	15879
						50299
17	श्री हुसन सिंह सुपुत्र श्री रामस्वरूप, मैसन	01.01.11 से 30. 04.12=466.37 दिन	217	153	64	29848
		01.05.12 से 31. 08.12=92 दिन	235	166	69	6348
		01.09.12 से 31. 03.13=210 दिन	271	192	79	16748
						52944
18	श्री नसीम मैसन	01.10.10 से 30. 04.12=65	217	153	64	4160
19	श्री सुलेमान मैसन	01.10.10 से 30. 04.12=16.75 दिन	217	153	64	1072
20	श्री शम्भू सुपुत्र श्री गेंदा प्रसाद, मैसन	01.01.10 से 30. 09.10=95.5 दिन	199	140	59	5635
		01.10.10 से 30. 04.12=63 दिन	217	153	64	4032
						9667
21	श्री विजय सुपुत्र श्री छोटे लाल, मैसन	01.10.10 से 30. 04.12=47 दिन	217	153	64	3008
22	श्री जितेन्दर सुपुत्र श्री अमर सिंह, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=31.75 दिन	199	140	59	1873

23	श्री अमर सिंह सुपुत्र श्री गीता राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=64 दिन	199	140	59	3776
		01.10.10 से 30. 04.12=38 दिन	217	153	64	2432
						6208
24	श्री काका राम सुपुत्र श्री मुखतियार राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=21 दिन	199	140	59	1239
25	श्री मेवा राम सुपुत्र श्री बाबु राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=53 दिन	199	140	59	3127
26	श्री बलविंदर सिंह, सुपुत्र श्री दयाला राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=64 दिन	199	140	59	3776
27	श्री ओम प्रकाश सुपुत्र श्री जगत राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=60 दिन	199	140	59	3540
28	श्री पूरण चन्द सुपुत्र श्री रखु राम, मैदान	01.04.10 से 30. 09.10=19 दिन	199	140	59	1121
29	श्री धर्म चन्द सुपुत्र श्री गोकुल चन्द, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=19 दिन	199	140	59	1121
30	श्री विवेक सुपुत्र श्री दशरथ राम मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=21 दिन	199	140	59	1239
31	श्री दिनेश कुमार सुपुत्र श्री जगदीश, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=21 दिन	199	140	59	1239
32	श्री जीतू सुपुत्र श्री राम	01.04.10 से 30. 09.10=21 दिन	199	140	59	1239

	चन्दर, मैसन					
33	श्री कुलदीप सुपुत्र श्री दशरथ, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=21 दिन	199	140	59	1239
34	श्री काले लाल सुपुत्र श्री उमेश यादव, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=63 दिन	199	140	58	3717
35	श्री रंजन सुपुत्र श्री शिवालिक रजत, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=100.5 दिन	199	140	59	5930
		01.10.10 से 30. 04.12=27 दिन	217	153	64	1728
						7658
36	श्री राम विलास पासवान सुपुत्र श्री सकैन पासवान, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=78.5 दिन	199	140	59	4632
37	श्री बब्लू उर्फ कृष्ण कुमार सुपुत्र श्रीबुछ राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=41.5 दिन	199	140	59	2449
		01.10.10 से 30. 04.12=27 दिन	217	153	64	1728
						4177
38	श्री चन्दन सुपुत्र श्री मुकेश, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=56.5 दिन	199	140	59	3334
		01.10.10 से 30. 04.12=27 दिन	217	153	64	1728
						5062
39	श्री अजय कुमार सुपुपत्र श्री भीकू राम, मैसन	01.04.10 से 30. 09.10=40.5 दिन	199	140	59	2390
					योग	**₹717636**

नोटः— दैनिक भोगी मैसन की सरकार द्वारा दिनाँक 1.4.12 से न्यूनतम मजदूरी की प्रतिदिन की दर ₹166/— निर्धारित की गई थी, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार उपरोक्त विवरणिका में उनको यह दर दिनाँक 1.5.12 से देय दर्शाई गई है। अतः इस प्रकरण में तथा इसी प्रकार के अन्य के प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेखों/मस्ट्रोलों इत्यादि की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा तदानुसार उनसे अधिक भुगतान की मजदूरी की वसूली की जाए।

32 श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री दीप चन्द, दिहाड़ीदार मजदूर को ₹660/— का अधिक भुगतान करनाः—

चयनित माह के मस्ट्रोल बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री दीप चन्द को अक्तूबर, 2010 में अश्विन मेला, 2010 के लिए अस्थाई आधार पर बतौर दिहाड़ीदार मजदूर मस्ट्रोल पर ₹120/— प्रतिदिन की दर से रखा गया था। उन्हें गणना में त्रुटि के कारण निम्न प्रकार से ₹660/— का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः—

अवधि=मजदूरी आहरण के कुल वास्तविक कार्य दिवस	न्यास द्वारा देय कुल मजदूरी की गणना राशि	वास्तविकता में देय कुल मजदूरी की गणना राशि	अधिक भुगतान की राशि
07.10.10 से 21.10.10=14D	2340	1680	660

33 सचिव, SPCA (Society for prevention of cruelty towards animals) को ₹17920/— का अधिक भुगतान करनाः—

अध्यक्ष, SPCA (Society for prevention of cruelty towards animals) एवम सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास व उप मण्डलाधिकारी, नाहन के मध्य दिनाँक 09.03.06 को हुए करार (M.O.U) की शर्त संख्या 3 के अनुसार "2nd party will release the monthly contribution as per requirement submitted by the 1st party which shall be maximum to the tune of ₹40000/- P.M.", परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा सचिव SPCA (Society for prevention of cruelty towards animals) को जनवरी व मार्च, 2012 के दौरान वाऊचर संख्या 657 दिनाँक 31.3.12 के अन्तर्गत करार के अनुसार देय ₹80000/— की अपेक्षा ₹97920/— चैक संख्या

194473 दिनाँक 31.03.12 द्वारा अदा की गई जिसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी नहीं ली गई। इस प्रकार वर्णित प्रकरण में अनियमित रूप से ₹17920/– का अधिक भुगतान किया गया था तथा भुगतान की गई कुल राशि की वास्तविक प्राप्ति की रसीद भी प्राप्त नहीं की गई थी। अतः अब अधिक भुगतान की गई ₹17920 को सम्बन्धित पक्ष से वसूल करके या उनको भविष्य में देय राशि में समायोजित करने के साथ–साथ सक्षम अधिकारी की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए व भुगतान की गई कुल राशि की वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 फर्स्ट एंड बूथ अधिकारियों को मेलों के दौरान निशुल्क दवाईयों के वितरण हेतु प्रदान की गई अग्रिम ₹65000/– से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

निम्न विवरण के अनुसार फर्स्ट एंड बूथ अधिकारियों को मेले के दौरान निशुल्क दवाईयों के वितरण हेतु ₹65000/– अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी परन्तु इन राशियों की वास्तविक प्राप्ति की रसीदें व उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इन राशियों के व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः अब इन राशियों की वास्तविक प्राप्ति की रसीदें व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापित करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

वा0सं0/दिनांक	अधिकारी जिन्हें अग्रिम दिया गया	अग्रिम राशि	भुगतान का विवरण
618/01.03.12	CMO-Nahan	30000	Ch. No. 194453 dated 01.03.12
618/01.03.12	Distt. Ayuvedic Officer-Nahan	30000	Ch. No. 194454 dated 01.03.12
413/08.10.12	Distt. Ayurvedic Officer-Nahan	5000	Ch. No. 38437 dated 08.10.12
	योग	**₹65000**	

35 विज्ञापनों इत्यादि पर ₹1036501/– अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय करनाः–

मन्दिर न्यास द्वरा **परिशिष्ट "त"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी/सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर की गतिविधियों एवं विकास से सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री को विभिन्न पत्रिकाओं/समाचार पत्रो में छपवाने हेतु ₹1036501 का व्यय किया गया था। इससे सम्बन्धित भुगतान किए गए कुछ बिल/वाउचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विज्ञापन ऐसी पत्रिकाओं में छपवाये गये थे जिनका परिचालन स्थानीय ही था या कुछ ही

प्रतियों तक सीमित था। इस प्रकार स्थानीय एवं छोटी–छोटी पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/स्मारिकाओं में विज्ञापन छपवाना तथा ऐसी पत्रिकाओं में विज्ञापन छपवाना जिनका परिचालन केवल कुछ ही लोगों तक सीमित हो, व्यापक प्रचार के उद्देश्य को निष्फल करता है। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास द्वारा प्राप्त आय का केवल एक समुचित भाग केवल विज्ञापनों पर ही व्यय किया जा रहा है जो कि मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति को भी आकारण कमजोर करता है। इस प्रकार मन्दिर न्यास निधि से अनावश्यक रूप से व्यय किया गया प्रतीत होता है जिस बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

36 नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने सम्बन्धी अनियमितताएंः–

चयनित मासों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से लेकर उनके पूर्ण होने तक नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की जा रही थी, जैसे कि निर्माण से सम्बन्धित आंकलन को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही निर्माण कार्य करवाना, निर्माण कार्यों का विभागीय औचित्य तैयार न करना, टैन्डर खोलते समय लिफाफों पर टैन्डर की तिथि का सत्यापन न किया जाना, कार्य आंबटन पत्र पर कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूरा विवरण न दिया जाना, निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कोन्ट्रेक्टर लेजर का नियमानुसार अनुरक्षण न किया जाना, माप पुस्तिकाओं में कटिंगस/ओवर रेटिंग्स का सत्यापन न किया जाना एवं माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिया जाना, निर्माण कार्य के दौरान उपयोग हुई सामग्री की खपत विवरणी तैयार न करना, प्रत्यर्पणीय प्रतिभूतियों का प्रतिदाय के समय नियमानुसार सत्यापन न किया जाना इत्यादि। अतः नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना ही कार्य करवाना तथा ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियाँ न करना एक अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति को रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।

37 ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर की ₹20548/– की कटौती न करना:–

मन्दिर न्यास के चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों के लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्न विवरणानुसार श्रमकर की ₹20548/– की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः 1–2000(Lab)BCWA दिनाँक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व H.P. Building and Other Construction Workers Welfare Board में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कटौती न की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	माप पुस्तिका पृ0सं0/वा0 का विवरण	ठेकेदार एवम कार्य का नाम	कुल भुगतान की राशि	1% की दर से श्रमकर की देय राशि
1	Mb P-5 to 7 (2nd & final bill)	M/S Oppulent Tech Craft Pvt. Ltd. Sonepat P/F 6mm polycarbonate multiwala sheet (Lexan) with framed structure in (i) Shiv temple (ii) Dhyanu bhagat temple	585293	5853
2	Voucher No.342 &529dated 24.10.11 & 27.01.12, Ch. No. 8202189 dated 27.01.12	Sh. Mam Raj, Steel fitter, Vill-Ran Majra, Naraingarh (HR) C/O Vridhaashram Sh: Binding work of Steel	102446	1025
3	Mb, P-1 to 14 & 50 to 60 (5th & final	M/S Shimon steel fabrication, Cantt. Area-Nahan	484651	4847

	bill)	C/O Retaing wall & Brick Edging wall at Chhachroli, Yamuna Nagar (HR)		
4	393 dated 05.10.12/MB No TTT/39 P-122, Ch. No. 8202946 dated 05.10.12 (1st R/bill)	M/S Shimon Steel fabrication, Cantt, Area-Nahan P/F ornament grill complete with painting etc. in museum	45000	450
5	415 dated 09.10.12/MB No. TTT/39 P-123, Ch. No. 8202965 dated 09.10.12 (4th R/bill)	Sh. Murslim Painter-Kala Amb. Sh: painting work of museum building on labour rates	70139	701
6	416 dated 09.10.12/MB No. TTT/52 P-19, Ch. No. 8202966 dated 09.10.12 (3rd R/Bill)	Sh. Fakir Chand, Contractor Sh. Provinding Brick work, RCC, Plaster, form work on petty contracts in vridhaasharam building	232541	2325
7	427 dated 18.10.12/MB No. Chhachroli P-36, Ch. No. 703202 dated 09.10.12 (2nd R/bill)	Sh. Nirmal singh S/O Sh. Jaswant Singh-Jagdhouti, Jagadhri Drilling of Borewell for Temple Trust land at chhachroli, Yamuna Nagar	171000	1710
8	447 dated 28.10.12/MB No. Chhachroli P-28 to 35&39 to 42, Ch. No. 643819 dated 25.10.12 (3rd R/Bill)	M/S Shimon Steel fabrication, Cantt, area Nahan C/O Brick wall below interlink mesh boundary wall at chhachroli	129454	1295

9	378 dated 01.10.12/M.B No. TTT/39 P-120 & 121, Ch. No. 8202932 dated 01.10.12 (1st R/Bill)	Sh. Dharamveer, Contractor Sh. Fabrication of steel work at 1st floor of Museum	36023	360
10	379 dated 01.10.12/MB No. TTT/29 P-77 & 78, Ch. No. 8202933 dated 01.10.12 (1st R/Bill)	Sh. Dharamveer, contractor Sh. Fabrication work of roofing for toilet near/at Rain shelter	13231	132
11	461 dated 30.10.12/against bill, No. entry in MB, Ch. No. 8202992 dated 30.10.12 (2nd & final R/Bill)	Sh. Shishupal, Safai labour contractor safai work during mela October, 2012	185000	1850
		योग		**₹20548**

38 **कार्य का नामः– C/O Retaining Wall & Brick Edging Wall at Chhachroli, Yamuna Nagar (HR)**

ठेकेदार का नामः– M/S Shimon Steel fabrication, Cantt. Area Nahan

माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या/वाउचर का विवरणः– MB No. Chhachroli P-60 Voucher No. 742 dated 06.03.13 ₹183242/- (nett) Ch. No. 38486 dated 06.03.13 (5th R/bill)

उक्त निर्माण कार्य के पाँचवे चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः

(क) नियमानुसार भुगतान योग्य वास्तविक कार्य प्रमात्रा की अपेक्षा अधिक कार्य प्रमात्रा लेकर ₹16632/– का अधिक भुगतानः–

बिल की मद संख्या 7, "Supplying & Staking of good earth at site I/C Royality & carriage upto 100 mtr. as head load and 1 Km by machanical transport (MB P-59) की कुल कार्य प्रमात्रा 504 घनमीटर का ₹165/– प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया था। वास्तव में यह मद HPSR 1999 (Building & Civil works) Edition 2010 के Chapter (xxi) Arboriculture & Gardening में क्रम संख्याः 2 item code 21020000 पर वर्णित है जिसके अनुसार "earth measured in stacks will be reduced by 20% for payment", परन्तु वर्णित प्रकरण में मिट्टी की कुल आपूर्ति मात्रा में से उक्त प्रावधानानुसार 20**%** से नहीं घटाया गया था जिसके कारण ठेकेदार को निम्न विवरण अनुसार ₹16632/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके इसकी मन्दिर निधि में भरपाई की जायेः

आपूर्ति की गई मिट्टी की कुल मात्रा	205 मिट्टी की मात्रा जो भुगतान हेतु घटाई जानी चाहिए थी	भुगतान दर	अधिक भुगतान की राशि
504 cum (40x5+4+3+2)/4x3.60 m (average)	100.8 cum	165 per cum	16632

(ख) अतिरिक्त मद (extra item) की देय दर नियमानुसार निर्धारित न करने के कारण ₹715/– का ठेकेदार को अधिक भुगतान करनाः–

अतिरिक्त मद Brick shifting from a distance of more than 150 mtr. from plot due to heavy rains on (MB Chhachroli P- 26 & 40) के अन्तर्गत ठेकेदार को दिनाँक 01. 09.12 को 3000 तथा दिनाँक 18.09.12 को 2000 ईटों की ढुलाई हेतु एकमुश्त क्रमशः 1000 व 700 अर्थात कुल ₹1700 कर भुगतान किया गया थ जबकि नियमानुसार HPSR 1999 (Building & civil works) में वर्णित प्रावधानानुसार भुगतान की दर का निम्नानुसार निर्धारण करके इस प्रकरण में केवल ₹985/– का ही भुगतान किया जाना चाहिए थाः–

HPSR 1999(Building & civil works) Edition 2010 के chapter VI-Carriage of material by manual labour including loading, unloading and stacking bricks (code 0602000000) (P-68) के अनुसार 1000 ईटों की 150 Mtr. तक ढुलाई हेतु देय भुगतान दरः

प्रथम 100 मीटर के लिए	₹101.45
शेष 50 से 500 मीटर तक के लिए	₹29.87
कुल 150 मीटर व अधिक के लिए	₹13132
Add 50% privaling premium on HPSR 1999	₹65.66
1000 ईटो की 150mtr. व अधिक तक ढुलाई हेतु देय भुगतान दर	₹196.98 अर्थात ₹197
अतः 5000 इंटो की 150 mtr. व अधिक तक ढुलाई हेतु देय भुगतान योग्य राशि	₹985

इस प्रकार ठेकेदार को ₹715/– (₹1700–985) का अधिक भुगतान किया गया है जिसका नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उचित स्त्रोत से इस राशि की वसूली करके इसकी मन्दिर निधि की भरपाई की जाये।

(ग) गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹232/– का अधिक भुगतान करनाः–

गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण के अनुसार ₹232/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इसकी भरपाई मन्दिर निधि की भरपाई की जायेः

क्रमाँक	कार्य मद का विवरण	कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया गया	कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	कार्य प्रमात्रा में अन्तर	भुगतान की दर	अधिक भुगतान की राशि
1	P/L plain CC 1:4:8 in F/P for bed of E & F block (item No. 2 MB P-13) 1.30x1.10x0.15	0.64 cum	0.21 cum	0.43 cum	540 per cum	232

39 कार्य का नामः– **C/O Virdhaasharam SH Binding work of steel at labour rates**

ठेकेदार का नामः– **Sh. Mam Raj, Steel fitter, vill ran Majra, Naraingarh (HR)**

वाउचर का विवरण :– **Voucher No. 541 dated 27.01.12 ₹53510 Ch. No. 8202189 dated 27.01.12 (Contractor bill No. 34 dated 02.01.12 ₹33710)**

उक्त कार्य के माप की गणना/जोड में त्रुटि के कारण ठेकेदार को निम्न विवरण के अनुसार ₹276/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके इसकी मन्दिर निधि की भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:

क्रमाँक	कार्य मद का विवरण	कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया गया	कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	कार्य प्रमात्रा में अन्तर	भुगतान की दर	अधिक भुगतान की राशि
1	Total quantity of beam	657.25 rft	653.25rft	4.00rft	30 per rft	120
2	Slab quantity cut Qty. of slab not deducted	3498 sqft	3459 sqft	39.00 sqft	4 per sqft	156
					योग	₹276

40 स्टील व सीमेन्ट के भण्डार लेखों का सही ढ़ंग से रख–रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए सम्बन्धित भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्टील व सीमेन्ट के भण्डार लेखों का न तो सही ढ़ंग से रख–रखाव किया गया तथा न ही अध्यतन (updation) ही किया गया था। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अन्त में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual Physical Verification) भी नहीं किया जा रहा था जिसकी अनुपस्थिति में सम्बन्धित भण्डार लेखें सही स्थिति परिलक्षित नही कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में भण्डार में वस्तुओं के दुरूपयोग या Pilferage होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप कुछ प्रकरण निम्न वर्णित है। अतः इन प्रकरणों के अतिरिक्त स्टील तथा सीमेन्ट तथा अन्य मदों के समस्त भण्डार रजिस्टरो ंका ठीक से रख रखाव किया जाए

तथा साथ ही इनका (updation) अध्ययतन किया जाए। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्यास की अन्य चल तथा अचल सम्पतियो का भी नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) भण्डार से indent के माध्यम से जारी की गई वस्तुओं की भण्डार रजिस्टरो ंमें गणना न करनाः–

दिनाँक	Indent सं0	भण्डार से जारी वस्तुओं का विवरण	वस्तुओं की जारी की गई मात्रा (कि0ग्रा0 में)	भण्डार रजिस्टर LRC-1 की पृ0सं0
25.04.12	117 / 118	Channel 75x40 LC	2085.68	107
25.04.12	117 / 118	Flat 35x5	24.92	182
15.08.12	223	Flat 35x5	136.50	182
09.01.13	351	Sq. Bar 10mm	7.18	185
04.02.13	374	Sq. Bar 10mm	129.94	185
07.03.13	398	Sq. Bar 10 mm	1681.57	185

(ख) Indent के बिना ही भण्डार से वस्तुएं जारी की गई दर्शाना तथा जारी की गई वस्तुओं की मात्रा भण्डार रजिस्टरों में गलत दर्ज करनाः–

दिनाँक	Indent सं0	Indent में मांगी गई वस्तुओं का नाम	Indent में मांगी गई वस्तुओं की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	भण्डार से जारी दर्शाई गई मात्रा (कि0ग्रा0 में)	अन्तर (कि0ग्रा0 में)	भण्डार रजिस्टर LRC-1 की पृष्ठ सं0
26.04.12	117 / 118	Flat 30x5	शून्य	24.98	(+) 24.98	179
शून्य	शून्य	20mm bar	Nil (not supported by indent)	13002.97	(+) 13001.97	86
29.08.12	237	Cement	2 bag	1 bag	(–) 1 bag	146 of cement stock register vol-2

(ग) स्टॉक में शून्य शेष होने के बावजूद निर्माण सामग्री जारी की गई दर्शाना

दिनाँक	स्टील स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	वस्तु का नाम	हस्तगत शेष	जारी की गई मात्रा	Indent सं0
19.08.10	86	20mm TMT bars	Nil	6-22 Kg	Nil, file no. 1
02.07.12	86	-do-	Nil	1599-22 Kg	178
19.08.10	107	Channel 75x40LC	Nil	379-85 Kg	Nil, File No. 1
20.01.11	107	-do-	nil	2024-41 Kg	-do-
31.03.13	107	-do-	Overall दिनाँक 31.03.13 को 696.61 कि0ग्रा0 का ऋणात्मक शेष दर्शाया गया था		

41 एम ए एस छचरोली रजिस्टर में शेष पड़ी ₹16.14 लाख की निर्माण सामग्री का उपयोग न दर्शानाः–

अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए एम ए एस छचरोली के रजिस्टर के अवलोकन से विदित हुआ है कि उक्त रजिस्टर में समय–2 पर भण्डार से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त की गई ₹16.14 की निर्माण सामग्री का अंकेक्षण की तिथि अर्थात मई, 2014 तक कोई उपयोग नहीं दिखाया गया था जिससे एक तो भण्डार से निर्माण सामग्री प्राप्त करने का औचित्य ही स्पष्ट नहीं होता तथा दूसरे लम्बे समय तक निर्माण सामग्री के अनुपयोग पड़े रहने से इसके दुर्विनियोजन व pilferage की समभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण में आन्तरिक छानबीन करके अनुपयोग पड़ी निर्माण सामग्री का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–2 इसका उपयोग दिखाया जाये अथवा इसे भण्डार को लौटाया जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वर्णित निर्माण सामग्री का कोई दुर्विनियोजन व pileferage न हुआ होः–

एमएएस रजिस्टर पृ0सं0	निर्माण सामग्री का नाम	निर्माण सामग्री प्राप्त करने की अवधि	अनुपयोग पड़ी निर्माण सामग्री का मई, 2014 को शेष	दर	राशि
01	Cement opc/ppc	28.07.12 से 01.01.13	1448 bags	300 per bag	434400

03	Bricks 1st class	28.07.12 से 01.01.13	77000 nos	5500 per, 1000	423500
05	Core sand	09.08.12 से 19.12.12	7830 cft	34 per cft	266220
07	Yamuna sand	15.08.12 से 07.11.12	1250 cft	32 percft	40000
09	Aggregate 10/20mm	11.08.12 से 10.01.13	5900 cft	38 percft	224200
11	Aggregate 40mm	15.08.12 से 10.01.13	6100 cft	37 percft	225700
				योग	**₹1614020**

42 अधूरे स्टोर इन्डेन्ट पर भण्डार से निर्माण सामग्री जारी करनाः–

स्टील व सीमेन्ट के भण्डार लेखों से उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन्डेन्ट पर मांगकर्ता, प्राप्तकर्ता, स्टोर कीपर को स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे तथा इस अधूरे स्टोर इन्डेन्ट पर ही भण्डार से निर्माण सामग्री जारी की गई थी जो कि अनियमित है जिसके कारण भण्डार से जारी निर्माण सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अनियमितता से सम्बन्धित इन्डेन्टों के कुड उदाहरण निम्न प्रकार से है। अतः इस अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	अनियमितता का विवरण	इन्डेन्ट सं0 व दिनाँक
1	इन्डेन्ट पर किसी के भी हस्ताक्षर न होना	382 dated 26.02.13 to 390 dated 14.02.13 337 dated 26.12.12
2	इन्डेन्ट पर मांगकर्ता, प्राप्तकर्ता, स्टोरकीपर के हस्ताक्षर न होना	205 dated 28.07.12, 216 dated 09.08.12 227 dated 19.08.12, 314 dated 02.12.12 299 dated 12.11.12, 329 dated 19.12.12 250 dated 08.09.12 to 252 dated 09.09.12 208 dated 01.08.12 to 213 dated 08.08.12 286 dated 22.10.12 to 295 dated 06.11.12 (except 292)
3	इन्डेन्ट पर प्राप्तकर्ता,	379 dated 04.02.13 to 381 dated 13.02.13

	स्टोर कीपर व स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर न होना	166 dated 18.06.12 to 187 dated 12.07.12 214 dated 08.08.12 to 232 dated 24.08.12 (except 216, 225 & 227) 235 dated 27.08.12 to 249 dated 07.09.12 (except 237) 391 dated 26.02.13 to 418 dated 31.03.13 (except 394)
		296 dated 07.11.12 to 338 dated 27.12.12 (except 298, 299, 314, 314, 327 to 329 & 337 255 dated 11.09.12 to 257 dated 13.09.12

43 क्रय की गई ₹1810984/– की वस्तुओं की भण्डार रजिस्टर में गणना न करनाः–

चयनित माह के व्यय वाऊचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार क्रय की गई वस्तुओं की भण्डार रजिस्टरों में या तो गणना ही नहीं की गई थी या कम गणना की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वस्तुओं के pileferage की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध मे ंपूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) उपभोग वस्तुएं (Consumable Articles)

क्र0 सं0	सामान्य भण्डार पृ0सं0/दिनाँक	विक्रेता का नाम, बिल संख्या व दिनाँक	क्रय वस्तुओं का विवरण	वाऊचर/ चैक नम्बर व दिनाँक	राशि
1	22/08.08.12	HP Civil Supply corpn-Nahan, bill No. CR 9545 dated 17.08.12	भण्डार/ खाद्य सामग्री	Voucher No. 381, & Ch. No. 8202931 both dated 01.10.12 ₹342299	16320
2	229/21.08.12	-do- CR 9608 dated 23.08.12	-do-	-do-	56869
3	229/21.08.12	-do- CR 9617 dated 24.08.12	-do-	-do	98885
4	228/26.07.12	-do- CR 9619 dated 24.08.12	-do-	-do-	430
5	230/21.08.12	-do- CR 9638 dated 25.08.12	-do-	-do-	34112

6	229/21.08.12	-do- CR 9668 dated 28.08.12	-do	-do-	881
7	229/21.08.12	-do- Cr 9674 dated 29.08.12	-do-	-do	25840
8	229/21.08.12	-do- CR 9765 dated 05.09.12	-do-	-do-	14960
9	231/11.09.12	-do- CR 10012 dated 19.09.12	-do-	-do-	47462
10	231/22.09.12	-do- CR 10046 dated 22.09.12	-do-	-do-	46540
11	218 & 219/07.02.12	-do- CR 7229 dated 23.02.12	-do-	Vr. No. 636 & Ch. No. 820224 both dated 19.03.12 ₹156852	153450
12	219/07.02.12	-do- CR 7230 dated 23.02.12	-do-	-do-	152
13	217/27.01.12	-do- CR 7231 dated 23.02.12	-do-	-do-	3250
14	219 to 221/15.03.12	-do- CR 7672 dated 24.03.12	-do-	Journal Vr. No. 557 dated 31.03.12= ₹429500	125849
15	220/15.03.12	-do- CR 7673 dated 24.03.12	-do-	-do-	94281
16	220 & 221/15.03.12	-do- CR7682 dated 24.03.12	-do-	-do-	209370
17	Not entered	-do- 0705110 dated 28.08.12	-do-	Journal Vr. No. 230 dated 05.10.12= ₹29832	6480
18	Not entered	-do- 0705086 dated 08.08.12	-do-	-do-	5184
19	Not entered	-do- 254009 dated 09.08.12	-do-	-do-	1320
20	Not entered	-do- 0705087 dated 14.08.12	-do-	-do-	7776
21	Not entered	-do- 0705098 dated 20.08.12	-do-	-do-	9072
22	Not entered	-do- 0705112 dated 31.08.12	-do-	Vr. No. 229 & Ch. No. 038434 both Dated	10368

				05.10.12 ₹49474	
23	Not entered	-do- 25203 dated 06.09.12	-do-	-do-	8982
24	Not entered	-do- 215297 dated 22.09.12	-do-	-do-	8982
25	Not entered	-do- 252029 dated 17.09.12	-do-	-do-	8982
26	Not entered	-do- 2536 dated 13.09.12	-do-	-do-	12160
27	Not entered	Sunil Kumar Milk Supplier-Trilokpur, Nahan, CM No. 25 dated 10.04.12	Milk 190 Kg @ ₹39/- per Kg	Vr. No. 429 & Ch. No. 8202972 both dated 11.10.12 ₹5700	5700
28	259	Himfed Nahan/Bill No. 1332 dated 01.03.12	Shalimar Putty	----	15015
29	271	-do- 1339 dated 01.03.12	Emulsion/ Paint etc.	----	139489
30	271	-do- 1340 dated 01.03.12	Stainer/Brush etc.	---	7907
31	285	-do- 1342 dated 06.03.12	Lime & welding Rod etc.	-----	18648
32	287	-do- 1344 dated 23.03.12	Electric goods	----	23084
33	289	-do- 1345 dated 23.03.12	-do-	----	16603
34	289	-do- 1346 dated 23.03.12	-do-	-----	29721
35	291	-do- 1347 dated 23.03.12	Fevicol DDL	----	4505
36	340-41	-do- 1761 dated 25.07.12	TMT bar 25 mm 91.97 MT	Steel stock register P-87	99189
37	371	-do- 1772 dated 11.09.12	Electric goods	----	115000
38	83	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1089 dated 19.08.10	Hardware/ Sanitary fittings etc.	----	1993
39	83	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1106 dated 21.08.10	-do-	---	2170
40	85	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 11007 dated 21.08.10	-do-	---	559

41	85	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1210 dated 07.09.10	-do-	---	1797
42	87	-do- B.No. 1211 dt. 7.9.10	-do-	---	209
43	87	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1384 dated 27.09.10	-do-	----	6815
44	89	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1367 dated 25.09.10	-do-	----	550
45	96	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1447 dated 07.10.10	-do-	----	2824
46	281	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 2465 dated 26.03.12	-do-	----	3486
47	341	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 928 dated 10-08-12	-do-	----	14522
48	91	RK Trading Co-Nahan. Bill No. 895 dated 02.10.10	-do-	----	1820
49	91	RK Trading Co-Nahan. Bill No. 896 dated 03.10.10	-do-	----	2259
50	269	Pawan Electrical & H/W Store-Nahan Bill No. 419 dated 10.03.11	Red oxide	----	409
51	291	Gupta Trading Co-Nahan, Bill No. 8673 dated 19.04.12	Hardware/ Sanitary Fittings etc.	----	4493
52	293	-do- 8671 dated 17.03.12	-do-	----	4899
53	293	-do- 8672 dated 17.03.12	-do-	----	4965
54	295	-do- 8677 dated 20.03.12	-do-	----	3213
55	295	-do- 8678 dated 20.03.12	-do-	----	4322
56	353	-do-8975 dated 09.09.12	-do-	----	1189
57	355	-do-8884 dated 07.07.12	-do-	----	5067
58	355	-do-8885 dated 07.07.12	-do-	----	1848
59	357	-do-8893 dated 12.07.12	-do-	----	803
60	357	-do-8894 dated 12.07.12	-do-	----	1165
61	357	-do-8925 dated 04.08.12	-do-	----	3782
62	359	-do-8868 dated 04.08.12	-do-	----	2377
63	359	-do- 8912 dt. 27.2.12	-do-	----	6815
64	359	-do- 8924 dated 4.8.12	-do-	----	14350

65	361	-do-8926 dated 04.08.12	-do-	----	3035
66	371	-do-8926 dated 04.08.12	-do-	----	2081
67	373	-do-8990 dated 16.09.12	-do-	----	20475
68	351	Mam Chand Rajinder Prakash-Nahan Bill No. 7351 dated 04.09.12	Water ply/Teak ply	----	37046
69	353	-do- 7362 dated 08.09.12	-do-	----	21840
70	261	Rana Building Material Supplier Naraingarh Bill No. 573 dated 14.02.12	Core sand	----	2600
71	401	-do- 690 dated 21.09.12	Stone dust	----	17500
72	273	Afsan Electricals & Elctronics Nahan Bill No. 2392 dated 24.02.12	Fan/J.Box	----	3215
73	285	-do- 2465 dated 29.03.12	Wire	----	1850
74	367	Diwakar Trader-Trilokpur Road, Kala Amb Bill No. 9503 dated 06.09.12	M.S. Pipe	----	5667
75	309	Joginder Singh & Co-Ambala Road, Naraingarh Bill No. 6507 dated 09.05.12	पल्ला, चौखट & moulding	----	31272
76	407	Marble paint village Nada sahib, Zirakpur Bill No. 2309 dated 03.10.12	Kota Stone /marble	----	3834
				योग	**₹1731934**

(ख) स्थायी वस्तुएं (**Permanent Articles**)

क्र0 सं0	सामान्य भण्डार 1–C पृ0सं0 / दिनाँक	विक्रेता का नाम, बिल संख्या व दिनाँक	क्रय वस्तुओं का विवरण	क्रय वस्तुओं की मात्रा	राशि
1	94 & 95	Kwality Hardware Kala Amb. Bill No. 1439 dated 05.10.10	Tools, Hammer Belcha etc.	---	3079
2	281	-do- 2460 dated 26.03.12	PVC Tank 1000 ltr	1 No.	4921
3	281	-do- 2463 dated 26.03.12	PVC Tarpal PVC pipe, tee & eldow etc.	3 Nos ---	2495 1069

4	275	Himfed-Nahan/bill No. 1343 dated 14.03.12	Aluminium Extension ladder	1 No./40ft	26390
5	283	Afsan Electricals & Elctronics Nahan Bill No. 2527 dated 24.03.12	Spray Pump Heavy Duty	1 No.	4500
6	285	Afsan Electricals & Elctronics Nahan Bill No. 2535 dated 27.03.12	Spray Pump Heavy Duty	1 No.	4500
7	367	Afsan Electricals & Elctronics Nahan Bill No. 2803 dated 11.09.12	Khaitan Exauhust Fan 9"	2 No.	1800
8	363	Bundu Khan Iqbal Ahmed-Gunnughat, Nahan Bill No. 1283 dated 18.08.12	Welding Set	1 No. Copper lead/15mtr. Earth level/5 ltr. Holderset/ 1 Set	19500 2400 550 250
9	363	Ashirwad Fittings Nahan Bill No. 3045 dated 30.08.12	Urine Pot	1 No.	4016
10	407	Bill No. 1151 dated 10.10.12	Ahuja Microphone Aud+Accessories	2 Unit	3580
				योग	₹79050

44 ₹934399/– के बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

चयनित माह के व्यय एवम भुगतान वाउचरों का अंकेक्षण करने के दौरान **परिशिष्ट "थ"** में दर्शाए गए ₹934399/– के बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय एवं भुगतान की गई राशियों को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार मूल अभिलेख के अभाव में ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इन व्यय एवम भुगतान वाउचरों को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

45 विविध अग्रिमों के रूप में ₹1571018/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिए गए प्रावधानानुसार एक माह के भीतर अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना वाँछित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "द"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.03.2013 को ₹1571018/– विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली/समायोजन हेतु विशेष कदम उठाये जाऐं व की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त वर्णित **परिशिष्ट "द"** में बहुत सी राशियाँ ऐसी है जोकि पिछले कई वर्षों से बतौर स्टाफ अग्रिम के रूप में दी गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः ऐसे समस्त मामलों के सन्दर्भ में वसूली दण्ड ब्याज सहित नियमानुसार सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

46 वाहनों की मासिक औसत तेल खपत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित न करवानाः–

चयनित माहों में वाहनों की लॉग बुक्स में की गई प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह के अन्त में निकाली गई वाहनों की औसत तेल खपत को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा था जोकि उचित नहीं है तथा इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0सं0	**माह**	**औसत (कि0मी0 प्रति लीटर)**	**टिप्पणी**
एच0पी0–16–0001	11/12	––––––	मासिक औसत की गणना नहीं की गई थी
	12/12	––––	–यथोपरि–

	1/13	8.00 (तीन माह 11/12 से 1/13 की औसत इकटठी निकाली गई थी)	औसत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की की है थी
	2/13	7.95	–यथोपरि–
	3/13	7.99	–यथोपरि–
एच0पी0–18–0003	11/10	7.53	–यथोपरि–
	3 व 4/12	7.49 (दो माह 03/12 तथा 04/12 की औसत इकटठी निकाली गई थी)	–यथोपरि–
	10/12	7.52	–यथोपरि–

47 भण्डार में पड़ी शेष वस्तुओं का भौतिक सत्यापन न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा भण्डार में पड़ी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अविलम्ब भण्डार में पड़ी भोष वस्तुओं का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

48 मिश्रित अनियमितताएंः–

(क) स्थापना चैक रजिस्टर (ECR) का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसका रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये।

(ख) श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर कर्मचारी नियमावली, 2003 व वित्तीय नियमावली, 2008 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थी जिसके लिए यथोचित कार्रवाई की जाये ताकि इन नियमावलियों के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय भी नियमित हों।

(ग) खाद्य सामग्री के स्टोर व स्टॉक के लेखें वर्ष 2011 से अपूर्ण थे जिनका समय–2 पर अध्ययतन (Updation) एवम पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) Galla Collection Register में दान में प्राप्त सोने–चाँदी की मात्रा को अंको के साथ–2 शब्दों में नियमित रूप से नहीं लिखा जा रहा था जैसा कि इस रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 5 से 24 तक, 28 से 32 तक, 36 से 40 तक, 118 से 122 तक, 155 व 164 के अवलोकन से स्पष्ट होता है। भविष्य में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये क्योंकि नियमानुसार ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।

49 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

50 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय—2 पर अध्ययतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)209/2000 खण्ड—2—7004—09 दिनांक 19.11.2014, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1. मन्दिर अधिकारी श्री महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. उपायुक्त सिरमौर, एवं अध्यक्ष महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर, हि0प्र0
3 मण्डल अधिकारी सिरमौर एवं उपाध्यक्ष महामाया बालासुन्दरी जी मन्दिर न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर, हि0प्र0
4 निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला—9
5 अवर सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2
6. श्री हेम राम भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक द्वारा............

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

परिशिष्ट "A" पैरा संख्या 1 (घ)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों का विवरण

क्र0सं0	पैरा संख्या	टिप्पणी	
1	2	निर्णीत	
2	3 (i) (ii)	अनिर्णीत	
3	4 (i) (iii), (iv) तथा (v) (क) एवं (घ)	अनिर्णीत	
4	4 (ii)	निर्णीत	(परिशिष्ट के अनुसार दिनाँक 31.12.12 को सोने के स्टॉक रजिस्टर के DTO Coloumn में 50 gm सोना जमा किया गया)
5	4 (v) (ख)	निर्णीत	
6	4 (v) (ग)	निर्णीत	
7	5	अनिर्णीत	
8	6	अनिर्णीत	
9	7	अनिर्णीत	
10	8	अनिर्णीत	
11	9	अनिर्णीत	
12	10	अनिर्णीत	
13	11	अनिर्णीत	
14	12	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
15	13	निर्णीत	
16	14	निर्णीत	
17	15	अनिर्णीत	
18	16	अनिर्णीत	
19	17	अनिर्णीत	
20	18	निर्णीत	
21	19	अनिर्णीत	

22	20	अनिर्णीत	
23	21	अनिर्णीत	
24	22	निर्णीत	
25	23 (i)	अनिर्णीत	
26	23 (ii)	निर्णीत	
27	23 (iii)	निर्णीत	
28	24 (i), (ii),(iii),(iv), (v) एवं (vi)	अनिर्णीत	
29	25 (i) (ii) एवं (iii)	अनिर्णीत	
30	26 (i) एवं (ii)	अनिर्णीत	
31	27	अनिर्णीत	
32	28	अनिर्णीत	
33	29	अनिर्णीत	
34	30	अनिर्णीत	
35	31	अनिर्णीत	
36	32	अनिर्णीत	
37	33	अनिर्णीत	
38	34 (i) एवं (ii)	अनिर्णीत	
39	35	अनिर्णीत	
40	36	अनिर्णीत	
41	37	निर्णीत	
42	38	अनिर्णीत	
43	39 (क, ख एवं ग)	अनिर्णीत	
44	40	अनिर्णीत	
45	41	अनिर्णीत	
46	42	अनिर्णीत	
47	43	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
48	44	अनिर्णीत	
49	45	अनिर्णीत	
50	46	अनिर्णीत	

51	47	अनिर्णीत
52	48	अनिर्णीत
53	49 (i) एवं (ii)	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	53
वर्श अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)46
वर्श अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–)13
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.13 तक)	86